



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1024]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2017/चैत्र 21, 1939

No. 1024]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2017/ CHAITRA 21, 1939

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2017

का. आ.1153(अ) शासी बोर्ड, वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अधिनियम, 2011 (2012 का 13) की धारा 28 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी परिनियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी के लिए निम्नलिखित परिनियम बनाता है, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन परिनियमों का नाम वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी परिनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अकादमी" से इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अभिप्रेत है,

(ख) "अधिनियम" से वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अधिनियम, 2011 (2012 का 13) अभिप्रेत है;

(ग) "सहयुक्त संकायाध्यक्ष" से अकादमी के सहयुक्त संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है,

(घ) "सहयुक्त निदेशक" से अधिनियम की धारा 23 के अधीन नियुक्त अकादमी का सहयुक्त निदेशक अभिप्रेत है,

(ङ) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन गठित वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी का शासी बोर्ड अभिप्रेत है;

(च) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 12 के अधीन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(छ) "वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद" से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन 'वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद' के नाम से रजिस्ट्रीकृत सोसायटी अभिप्रेत है;

(ज) "संकायाध्यक्ष" से अकादमी के संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है,

(झ) "निदेशक" से अधिनियम की धारा 22 के अधीन नियुक्त अकादमी का निदेशक अभिप्रेत है,

(ट) "सम्पदा" से अकादमी की कोई भी या सभी संपत्ति अभिप्रेत है, जो अकादमी द्वारा चाहे भुगतान के माध्यम से या दान और अपकृति के रूप में स्वामित्व प्राप्त या अर्जित हो और जो पूर्णतः उसकी हों परंतु इसके अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला का परिसर, मकान या भवन या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का अकादमी द्वारा उपयोग में लाया गया कोई परिसर, सम्मिलित नहीं है;

(ठ) "अकादमी का संकाय" से अकादमी आचार्य, विख्यात आचार्य, प्रख्यात आचार्य, प्रतिभाशाली आचार्य, आचार्य, एमिरिटस आचार्य, ज्येष्ठ आचार्य, सहयुक्त आचार्य, सहायक आचार्य, अतिथि संकाय, सहायक संकाय और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिनको अकादमी में अकादमी द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं में शिक्षा देने या अनुसंधान का संचालन करने के लिए नियुक्त किया जाए और जिसके अंतर्गत शिक्षा देने या अनुसंधान का संचालित करने के लिए समनुदेशित, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक भी हैं।

(ड) "दान" से ऐसे अभिदाय, अनुदान, वसीयती निक्षेप या अन्य, जंगम और स्थावर संपत्तियां और धन जो किसी दानदाता से अकादमी द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, के बदले में वाणिज्यिक मूल्य की कोई सेवा या संसाधन की वचनबद्धता किए बगैर, अकादमी द्वारा उसके उद्देश्यों के अनुरूप दानदाता द्वारा दिए गए दान को पदाविहित करने और नामकरण अवसर प्रदान करने से भिन्न, अभिप्रेत है।

(ढ) "सिनेट" से अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित अकादमी की सिनेट अभिप्रेत है;

(ण) "परिनियम" से तत्समय प्रवृत्त अकादमी के परिनियम अभिप्रेत है,

(त) "छात्र" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है -

(i) जिसने अकादमी के किसी डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम में नामांकन कराया हो और स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं की है या अभ्यर्थिता वापस नहीं ली हो या संबंधित डिग्री या डिप्लोमा के लिए किसी आवश्यकता को पूरा करने में विफल न रहा है, या अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप निष्कासित नहीं कर दिया गया है; या

(ii) जो अकादमी में अध्ययन करने के लिए रजिस्ट्रीकृत है परंतु किसी डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए नहीं और जिसने अध्ययन की अवधि को पूरा नहीं किया है या अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, या अनुशासनात्मक कार्रवाई के एक परिणाम के रूप में निष्कासित नहीं कर दिया गया है;

(थ) "उपाध्यक्ष" से शासी बोर्ड के उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

(2) ये उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. शासी बोर्ड - (1) शासी बोर्ड अकादमी का शीर्षस्थ प्राधिकरण बनाएगा।

(2) बोर्ड की संरचना, अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों के नामांकन का तरीका, सदस्यों की पदावधि और बोर्ड की शक्तियां अधिनियम की धारा 11, 12, 13, 14, 16 और 17 के उपबंधों के अनुसार होगी।

4. बोर्ड की बैठक - (1) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा।

(2) विभिन्न मुद्दों जैसे विदेशी छात्रों का प्रवेश, अकादमी के बौद्धिक संपदा अधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांत और अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुसार अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना:

(3) बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा, परंतु आम सहमति नहीं बनने की दशा में मतदान पद्धति को अपनाया जाएगा।

(4) बोर्ड की बैठक एक साल में कम से कम एक बार होगी और अध्यक्ष जितनी बार उचित समझे बोर्ड की असाधारण बैठक बुला सकता है।

(5) बोर्ड का सचिव, बैठक की तारीख से कम से कम सात कार्यदिवस पूर्व, विचार के लिए संबंध एजेंडा के साथ बैठक की सूचना देगा:

परंतु अध्यक्ष कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् अड़तालीस घंटे का नोटिस देकर असाधारण बैठक बुला सकता है।

(6) सचिव बैठक की चर्चा को कार्यवृत्त के रूप में रिकॉर्ड करेगा और अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से कार्यवृत्त को अनुमोदन के पश्चात् इन्हें बोर्ड के सदस्यों के लिए प्रचालित करेगा और बोर्ड की अगली बैठक में इस कार्यवृत्त को अंतिम रूप से अंगीकार किया जाएगा।

(7) बोर्ड की कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम का गठन करेगा।

(8) बैठक के लिए भागीदारी या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना माध्यमों द्वारा जैसे स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या किसी अन्य माध्यम से हो सकती है।

(9) यदि जब आदेश करने के लिए बैठक बुलाई जाने पर कोरम नहीं बनता है, तब अध्यक्ष तीस मिनट के लिए बैठक स्थगित करेगा और तत्पश्चात् कोरम बनाने वाले उपस्थित सदस्यों के साथ बैठक पुनः बुला सकेगा।

(10) यदि भाग लेने वाले पचास प्रतिशत से अधिक सदस्य, अध्यक्ष को छोड़कर, प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं, प्रस्ताव को पारित समझा जाएगा और वोटों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(11) कोई भी कारबार, अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा खातों से संबंधित मामलों को छोड़कर, जिसका बोर्ड के लिए संचालन करना आवश्यक हो सकता है, को अपने सभी सदस्यों के बीच प्रचालित किया जाएगा और इस तरह से परिचालित और अनुमोदित कोई भी संकल्प सदस्यों के बहुमत से हस्ताक्षर किए जाने पर उसी रूप में क्रियाशील और बाध्यकारी होगा जैसे की यह संकल्प बोर्ड की बैठक में पारित किया गया हो, परंतु बोर्ड की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई सदस्यों द्वारा इस संकल्प पर अपने विचार दर्ज किए गए हों।

5. सिनेट- (1) अधिनियम की धारा 18 में उपबंधित सिनेट के सदस्यों के साथ-साथ अकादमी के सभी सहयुक्त संकायाध्यक्ष सिनेट के पदेन सदस्य होंगे।

(2) सहायक निदेशक (प्रशासन और वित्त) या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ प्रबंधक (प्रशासन) सिनेट के गैर सदस्य सचिव के रूप में कृत्य करेगा।

6. सिनेट की शक्तियां और कृत्य - अधिनियम में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अलावा सिनेट निम्नलिखित कृत्य कर सकेगी:-

(क) अकादमी द्वारा प्रस्थापित पाठ्यक्रम बनाना, समीक्षा और पुनरीक्षण करना;

(ख) अध्यादेशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अधीन छात्रों के दाखिले के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत तैयार करना;

(ग) अध्यादेशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अधीन शिक्षा, शिक्षा और परीक्षा के मानकों को बनाए रखना, छात्रों का मूल्यांकन करना और ऐसी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना;

(घ) अकादमी के शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों पर सिफारिशें प्राप्त करने के लिए विभिन्न समितियों, जैसा यह उचित समझे, की नियुक्ति करना;

(ङ) समितियों की सिफारिशों पर विचार करने और अनुसमर्थन के लिए उन्हें बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना;

(च) अकादमी के काम की आवधिक समीक्षा करना;

(छ) अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य प्रकाशन जो अकादमी के क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी का प्रसार करने के लिए सुसंगत हों, तैयार करना;

(ज) अध्यादेशों के अनुसार अकादमी की सम्पदा, कर्मचारिवृंद के लिए निवास, छात्रों के लिए छात्रावास के रूप में उपयोग करना और कर्मचारिवृंद के निरीक्षण के लिए व्यवस्थाएं करना;

- (झ) संकाय को ऐसे संकायों, शिक्षण विभागों, संस्थानों, विद्यालयों, केंद्रों एवं एककों तथा अध्ययन एवं शिक्षण के अन्य उप-प्रभागों में संचालित करना;
- (ट) अकादमी के कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के विस्तार, विविधीकरण और पुनः स्थितियन के लिए बोर्ड को सिफारिशें प्रस्तुत करना;
- (ठ) बोर्ड को, पदों के सृजन और विद्यमान पदों के पुनःपदनाम ऐसे पदों के लिए उपलब्धियां नियत करते हुए सुझावों के साथ, सिफारिशें करना;
- (ड) अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययन वृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;
- (ढ) प्राधिकरण के समुचित अनुमोदन से अकादमी की सभी नियुक्तियों, ऐसी नियुक्तियों के लिए चयन समितियों, पदधारियों के लिए आरंभिक वेतन और नियुक्ति के लिए किए जाने वाले स्तर के प्रस्ताव का निर्णय करेगा;
- (ण) किसी भी अन्य शैक्षणिक मुद्दे का समाधान करना; और
- (थ) बोर्ड द्वारा निर्देशित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना;

#### 7. सिनेट की बैठक.-

- (क) सिनेट एक वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगी;
- (ख) सिनेट अध्यक्ष अपने स्वयं की पहल पर या सिनेट सदस्यों के कम से कम पच्चीस प्रतिशत द्वारा हस्ताक्षरित माँग पर बैठक बुला सकेगा;
- (ग) सिनेट का सचिव साधारण बैठक के लिए कम से कम पांच कार्य दिवस और माँग पर आयोजित बैठक के लिए कम से कम तीन कार्य दिवसों का अग्रिम नोटिस जारी करेगा;
- (घ) सिनेट का अध्यक्ष सिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेगा;
- (ङ) जब सिनेट का अध्यक्ष अनुपस्थित हो उस समय सहयुक्त निदेशक (शैक्षिक) बैठक की अध्यक्षता करेगा;
- (च) सिनेट की बैठक के लिए कुल सदस्यों का एक-तिहाई गणपूर्ति का गठन करेगा;
- (छ) भागीदारी, व्यक्तिगत उपस्थिति द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार पद्धति जैसे स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या संचार की किसी अन्य पद्धति के रूप में गणपूर्ति का अवधारण करने हेतु किया जा सकेगा;
- (ज) यदि जब आदेश करने के लिए बैठक बुलाई जाने पर कोरम नहीं बनता है, तब अध्यक्ष तीस मिनट के लिए बैठक स्थगित करेगा और तत्पश्चात कोरम बनाने वाले उपस्थित सदस्यों के साथ बैठक पुनः बुला सकेगा।
- (झ) सिनेट का सचिव सिनेट की बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेगा और सिनेट के अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ इस कार्यवृत्त को सभी सदस्यों में प्रचालित करेगा;
- (ट) बैठक में लिए गए अकादमी के संकाय से संबंधित निर्णय को तत्पश्चात बोर्ड के समक्ष अनुसमर्थन के लिए रखा जाएगा;
- (ठ) बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा और यदि किसी कार्यसूची पर आम सहमति नहीं बन पाती है, तो इस मुद्दे पर सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक के बहुमत द्वारा सिनेट के अध्यक्ष को छोड़कर, निर्णय हेतु मतदान पद्धति अपनाई जा सकेगी;
- (ड) यदि किसी कार्यसूची पर मतदान पद्धति अपनाई जाती है, उस समय वोटों की समानता की स्थिति में बैठक के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा;
- (ढ) कोई भी कारवार, अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा खातों से संबंधित मामलों को छोड़कर, जिसका बोर्ड के लिए संचालन करना आवश्यक हो सकता है, को अपने सभी सदस्यों के बीच परिचालित किया जाएगा और इस

तरह से परिचालित और अनुमोदित कोई भी संकल्प सदस्यों के बहुमत से हस्ताक्षर किए जाने पर उसी रूप में क्रियाशील और बाध्यकारी होगा जैसे की यह संकल्प बोर्ड की बैठक में पारित किया गया हो, परंतु बोर्ड की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई सदस्यों द्वारा इस संकल्प पर अपना समर्थन अभिलिखित किया गया हो।

(ण) सिनेट का निर्णय और बोर्ड की सिफारिश, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अकादमी के बीच किए गए समझौता ज्ञापन के अनुरूप होंगे।

8. कुलपति - (1) अध्यक्ष अकादमी का कुलपति होगा।

(2) अकादमी के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुलपति करेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, कुलपति के रूप में कार्य करेगा।

9. निदेशक (1) अधिनियम की धारा 22 के उपबंधों के अनुसार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष निदेशक की नियुक्ति करेगा।

(2) निदेशक एक भारतीय नागरिक होगा और अकादमी का प्रमुख शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी होगा जो अकादमी के प्रशासन और शिक्षा प्रदान करने, अनुसंधान और अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

10. निदेशक की पदावधि और पद से हटाया जाना-(1) निदेशक की पदावधि नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की होगी:

परंतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का सभापति, निदेशक की पदावधि का, मूल्यांकन समिति जिसमें निदेशक की नियुक्ति के लिए खोज-बीन सह चयन समिति के कम से कम तीन सदस्य हों, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं, की सिफारिश पर सत्तर वर्ष की आयु तक विस्तार कर सकेगा।

(2) अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार निदेशक को उसके पद से हटाया जा सकेगा।

(3) प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, चिकित्सा या अन्य अवकाश, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से निदेशक की अनुपस्थिति में, सबसे वरिष्ठ सहयुक्त निदेशक, निदेशक की वापसी तक या नियमित आधार पर निदेशक पद पर नियुक्ति होने तक निदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

11. निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य- (1) निदेशक -

(क) परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अकादमी के अन्य अधिकारियों के लिए प्रत्यायोजित निर्णयों को छोड़कर, अकादमी के बोर्ड और सिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करेगा;

(ख) अनुमोदित बजट में निधियों की उपलब्धता के अधीन, अध्यादेशों में विहित प्रक्रियाओं और समय-समय पर बोर्ड, सिनेट और वित्त समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार व्यय उपगत करेगा;

(ग) वित्त समिति द्वारा अनुमोदित सीमा तक निधियों का पुनर्विनियोग करने की शक्ति होगी;

(घ) वित्त समिति की सहमति अधीन और सिनेट तथा बोर्ड के अनुसमर्थन के द्वारा ऋणों, वसूली और अप्रतिसंघगीय हानियों को, बोर्ड द्वारा तय सीमा तक, को माफ करने की शक्ति होगी;

(ङ) प्राधिकरण के समुचित अनुमोदन से अकादमी की सभी नियुक्तियों, ऐसी नियुक्तियों के लिए चयन समितियों, पदधारियों के लिए आरंभिक वेतन और नियुक्ति के लिए किए जाने वाले स्तर के प्रस्ताव का निर्णय करेगा;

(च) अकादमी में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड के लिए मानकों या प्रवेश के लिए मूल्यांकन को नियत करने और ऐसे सभी प्रवेशों के अनुमोदन की शक्ति होगी;

(छ) वित्त समिति की सिफारिश और सिनेट द्वारा अनुमोदन के अधीन अकादमी की इमारतों, हॉस्टल, गेस्ट हाउस और अन्य अवसंचना के लिए किराया और फीस तय करेगा;

(ज) अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(झ) अकादमी में अस्थायी पदों का सृजन करेगा और सिनेट की सिफारिश और बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन पर संविदा के आधार पर उक्त पदों में उपयुक्त व्यष्टियों की नियुक्ति करेगा;

(ट) किसी भी शैक्षणिक कर्तव्य और कृत्य सिनेट के अनुमोदन और बोर्ड के अनुसमर्थन से को आउटसोर्स करने की शक्ति होगी;

(ठ) अकादमी की ओर से सभी करारों, अनुबंधों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेगा;

(ड) अकादमी के शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों को अवकाश अनुदान प्रदान करने और, यथा आवश्यक, तो अकादमी के कर्मचारिवृन्द को व्यक्तिगत विकास और प्रशिक्षण हेतु भेजने की शक्ति होगी;

(ढ) विशिष्ट क्षेत्रों में अकादमी के जनादेश को आगे बढ़ाने और सलाह देने के लिए समितियों, टास्क फोर्स और कार्य समूह का गठन करने की शक्ति होगी;

(ण) बोर्ड द्वारा समय समय पर परिनियम में विनिर्दिष्ट या अध्यादेश में उपबंध द्वारा या अधिसूचना द्वारा ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन कर सकेगा।

(2) निदेशक, अकादमी के अन्य उपयुक्त अधिकारियों को अध्यक्ष के अनुमोदन से अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगा;

12. निदेशक के लिए प्रतिकर - चयन समिति निदेशक पद के लिए व्यक्ति की श्रेष्ठता के अनुरूप प्रतिकर की सिफारिश कर सकेगी जिसमें नियत और कार्य आधारित दोनों परिवर्तनीय संघटक होंगे और जिसका अनुसमर्थन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

13. सहयुक्त निदेशक - (1) अकादमी में पाँच सहयुक्त निदेशक होंगे, अर्थात् सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक), सहयुक्त निदेशक (प्रशासन और वित्त), सहयुक्त निदेशक (छात्र संबंधी मामले), सहयुक्त निदेशक (संसाधन विकास और नेटवर्क) और सहयुक्त निदेशक (संस्थान संबंधी मामले और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना)।

(2) बोर्ड, प्रशासनिक सुविधा या अकादमी की शैक्षणिक दक्षता के प्रयोजन के लिए, सहयुक्त निदेशक को कोई भी अन्य पदनाम समनुदेशित कर सकेगी।

14. सहयुक्त निदेशकों की नियुक्ति- (1) निदेशक, अकादमी के आचार्य या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों, जो अकादमी की शैक्षणिक गतिविधियों में लगे हुए हों, में से अध्यक्ष के अनुमोदन से सहयुक्त निदेशक नियुक्त कर सकेगा।

(2) सहयुक्त निदेशकों के चयन के लिए एक चयन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(i) बोर्ड का उपाध्यक्ष - अध्यक्ष;

(ii) निदेशक - सदस्य;

(iii) बोर्ड के सदस्यों में से उपाध्यक्ष (वाइस चेयरपर्सन) द्वारा नामनिर्देशित बोर्ड का एक सदस्य - सदस्य;

(iv) तीन विशेषज्ञ, जिनमें से कम से कम दो, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से संबंधित न हों, को निदेशक की सिफारिश पर उपाध्यक्ष (वाइस चेयरपर्सन) द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(3) चयन समिति, सहयुक्त निदेशक के पद के लिए, बोर्ड के सदस्यों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं के निदेशक और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से अभ्यर्थियों को ढूंढेगी।

(4) खंड (1) के प्रयोजन के लिए, चयन समिति ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी, जैसा कि यह उचित समझे।

(5) निदेशक, सहयुक्त निदेशक की नियुक्ति के लिए चयन समिति की सिफारिश, अध्यक्ष को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

15. सहयुक्त निदेशकों की पदावधि (1) आरंभ में सहयुक्त निदेशकों की पदावधि नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष या पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी या पैसठ वर्ष की आयु तक होगी, जैसा भी चयन समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए:

परंतु बोर्ड कारण लेखबद्ध करते हुए, सहयुक्त निदेशकों की पदावधि को उनके प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ा सकेगा।

16. सहयुक्त निदेशक का हटाया जाना- बोर्ड, तीन महीने का नोटिस देकर या तीन महीने के नोटिस के बदले में वेतन का भुगतान करने के पश्चात एक सहयुक्त निदेशक को हटा सकेगा।

परंतु बोर्ड द्वारा किसी भी सहयुक्त निदेशक को कार्यालय से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक निदेशक द्वारा उसके लिए एक संकल्प के प्रस्ताव पर सिनेट और बोर्ड के दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदित न कर दिया जाए।

17. सहयुक्त निदेशकों के कर्तव्य और शक्तियाँ - सहयुक्त निदेशक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय, संचालन और पदनाम के साथ संगत अन्य कार्यों के निर्वहन में निदेशक की सहायता करेगा और निदेशक या बोर्ड द्वारा समनुदेशित जिम्मेदारियों का पालन करेगा।

18. सहयुक्त निदेशकों के लिए प्रतिकर - निदेशक खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर अभ्यर्थी की संभावित साबित क्षमता और श्रेष्ठता के अनुरूप अकादमी के सहयुक्त निदेशक

पद के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिकर प्रदर्शन के आधार पर परिवर्तनीय संघटकों के अनुसार नियत करेगा।

19. संकायाध्यक्ष - (1) निदेशक, सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) के परामर्श से और अध्यक्ष के अनुमोदन से संकायाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा:

परंतु अध्यक्ष, सिनेट की सिफारिश के बिना और उपाध्यक्ष से परामर्श किए बिना अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा।

(2) संकायाध्यक्ष, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों में से जो शैक्षणिक गतिविधियों में लगे हों और जो अकादमी के संकाय का हिस्सा हों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान के साथ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हों, में से नियुक्त किया जाएगा।

(3) संकायाध्यक्ष अकादमी को उसके शैक्षिक कृत्यों के निर्वहन में सहायता करेगा।

(4) जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरी विज्ञान, गणित और सूचना विज्ञान और भौतिक विज्ञान, प्रत्येक के लिए, एक संकायाध्यक्ष होगा।

(5) संकायाध्यक्ष की पदावधि नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी, जो एक और वर्ष या ऐसी किसी अन्य अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी जो सिनेट की सिफारिश पर बोर्ड उचित समझे;

(6) बोर्ड द्वारा किसी भी संकायाध्यक्ष को कार्यालय से निदेशक द्वारा उसके लिए संकल्प के दो तिहाई बहुमत द्वारा पर हटाया जा सकेगा और वो सिनेट के दो-तिहाई बहुमत से सदस्यों द्वारा अनुमोदित से किया जाएगा।

20. संकायाध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियाँ (1) एक संकायाध्यक्ष संबंधित क्लस्टर जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, का भारसाधक होगा और अकादमी के शैक्षणिक कृत्यों के निर्वहन में निदेशक और सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) की सहायता करेगा।

(2) संकायाध्यक्ष को कोई अन्य कार्य, जो निदेशक या सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) द्वारा आवश्यक समझा जाए, समनुदेशित किया जा सकेगा।

21. अकादमी के संकायाध्यक्ष के लिए वृत्तिका फीस - बोर्ड, सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) की सिफारिश पर निदेशक द्वारा नियत वृत्तिका फीस का अनुमोदन कर सकेगा।

22. सहयुक्त संकायाध्यक्ष- (1) निदेशक, सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) के परामर्श से और अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ सहयुक्त संकायाध्यक्ष को नियुक्त कर सकेगा:

परंतु अध्यक्ष, सिनेट की सिफारिश और उपाध्यक्ष से परामर्श किए बिना अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा।

(2) सहयुक्त संकायाध्यक्ष, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों में से, जो इसके शैक्षणिक कार्यों के निर्वहन में अकादमी की सहायता के लिए शैक्षणिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, नियुक्त किया जाएगा।

(3) जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणित, सूचना विज्ञान और भौतिक विज्ञान प्रत्येक के लिए एक सहयुक्त संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।

(4) एक सहयुक्त संकायाध्यक्ष की पदावधि उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी: परंतु कारण लेखबद्ध करते हुए, सिनेट की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा इसे तीन वर्ष की अवधि की एक और पदावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(5) बोर्ड एक सहयुक्त संकायाध्यक्ष को, यदि उसकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई गईं या किसी अन्य कारण से निदेशक लेखबद्ध करते हुए संबंधित संकायाध्यक्ष और सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) की सिफारिश पर पद से हटा सकेगा।

23. सहयुक्त संकायाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य- (1) एक सहयुक्त संकायाध्यक्ष संबंधित क्लस्टर जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, का भारसाधक होगा और अकादमी की शैक्षणिक गतिविधियों के निर्वहन में सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) और इसी क्लस्टर के संकायाध्यक्ष की सहायता करेगा।

(2) सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) और संबंधित क्लस्टर के संकायाध्यक्ष जैसा उचित समझे सहयुक्त संकायाध्यक्ष को अन्य कार्य समनुदेशित कर सकेंगे।

24. अकादमी के सहयुक्त संकायाध्यक्ष के लिए वृत्तिका फीस - निदेशक द्वारा सहयुक्त संकायाध्यक्ष के लिए नियत की गई वृत्तिका फीस को बोर्ड अनुमोदित कर सकेगा:

परंतु निदेशक, सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) को छोड़कर, की सिफारिश पर वृत्तिका फीस नियत नहीं करेगा।

25. विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए समन्वयकों की नियुक्ति - सिनेट, अध्यक्ष, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं के निदेशकों की सिफारिश पर विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए समन्वयकों की नियुक्ति कर सकेगा और नियुक्ति का सिनेट की अगली बैठक में अनुसमर्थन किया जाएगा।

26. अकादमी की प्रयोगशालाओं के समन्वयकों के लिए वृत्तिका फीस - बोर्ड सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) की सिफारिश पर प्रयोगशालाओं के समन्वयकों के लिए वृत्तिका फीस नियत कर सकेगा।

27. कार्यकारी अधिकारी और सलाहकार- (1) (क) अकादमी के कार्यकारी अधिकारियों में ऐसे अधिकारी सम्मिलित होंगे जो अकादमी के निर्विघ्न संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक हों।

(ख) अधिकारियों में ऐसे अधिकारी समाहित होंगे जो अकादमी उचित समझे परंतु यह केवल इन पदों जैसे सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), ज्येष्ठ प्रबंधक (प्रशासन), तकनीकी अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष या समतुल्य, सिस्टम प्रशासक, अभियंता, मीडिया अधिकारी, जन संपर्क अधिकारी, विधि अधिकारी और अन्य अधिकारी तक सीमित नहीं हैं।

(2) निदेशक, अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार लिखित संविधा के अधीन, कर्मचारियों और सलाहकारों को संविधा के आधार पर नियुक्त कर सकेगा।

(3) (क) विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन संकाय के स्थायी सदस्यों या अन्य कर्मचारियों यथा लागू के लिए चयन प्रक्रिया, विज्ञापन प्रकाशित होने या नामनिर्देशन या आमंत्रण, यथा मामला, की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर संपूर्ण होगी।

(ख) किसी अभ्यर्थी का चयन एक बार पूरा होने पर, ऐसे विस्तार के अध्यधीन जो अभ्यर्थी द्वारा स्वीकृति की दशा में सिनेट द्वारा आवश्यक समझा जाए, तीन मास के लिए विधिमान्य होगा।

(4) अकादमी, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में और अकादमी तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं के नोटिस बोर्ड पर अधिसूचना द्वारा व्यापक प्रचार द्वारा नियुक्तियां करेगा।



(5) (क) अकादमी की चयन समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी कार्यकारी सहायकों और कार्यकारी सलाहकारों की नियुक्ति संविदा के आधार पर कर सकेगी:-

- (i) एक सहायक निदेशक या उसका नामनिर्देशित अकादमी का;
- (ii) अकादमी का एक अधिकारी जो संयुक्त आचार्य की पंक्ति से नीचे का न हों;
- (iii) समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं के दो समन्वयक या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला का एक वैज्ञानिक और एक समन्वयक;

(ख) चयन समिति अभ्यर्थियों, जिन्होंने पदों के लिए अपनी अर्हताओं और अनुभव के आधार पर आवेदन किया है कि एक पैनल में से चयन कर सकेंगे।

(6) (क) अकादमी, समय समय पर आवश्यक अर्हताओं, पदावधि तथा पारिश्रमिक और विभिन्न प्रशासनिक पदों के कृत्यों के व्योरे अधिसूचित कर सकेगी।

(ख) अकादमी में लचीली प्रतिकार पद्धति होगी जो अकादमी में श्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को लाने के लिए कार्य को मान्यता देती है।

(7) (क) अकादमी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए, सरकार और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों और निदेशों के अनुसार पिछड़े समुदायों एवं दिव्यांजनों के लिए उपयुक्त पदों के आरक्षण के लिए समुचित उपबंध बनाएगी।

(ख) भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और वह नियमित रूप से अद्यतन की जाएगी और अकादमी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) अकादमी की आवश्यकता और कार्मिकों को बेहतर शैक्षिक अर्हताओं और तकनीकी सक्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद की उपबंधित अर्हताओं को, यथा आवश्यक, पुनः परिभाषित किया जाएगा।

(घ) किसी भी प्रशासनिक कर्मचारीवृद्ध का पारिश्रमिक, जिसका वित्त समिति से सहमति और निदेशक से अनुसमर्थन अपेक्षित हो, जो अकादमी द्वारा समय-समय पर उपांतरित पारिश्रमिक होगा।

(ङ) शासी बोर्ड, उपयुक्त प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु आकर्षित करने के लिए, जो मामले-दर- मामले पर आधारित होगा, और एक नजीर नहीं होगा, यदि आवश्यक हो विद्यमान वेतनमानों से एक स्तर उच्चतर का वेतनमान पुनः स्थापित कर सकेगा।

(च) अकादमी में स्थायी, अस्थायी, प्रतिनियुक्ति और संविदात्मक नियुक्तियों पर काम करने वाले कर्मचारियों के अनुपात का विनिश्चय सीनियर और शासी बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा। (छ) (i) अकादमी के सभी कर्मचारी पारिवारिक स्वास्थ्य संरक्षण के हकदार होंगे।

(ii) अकादमी में स्थायी, अस्थायी सभी कर्मचारी समय-समय पर अधिसूचित नियमों के अनुसार छुट्टी के हकदार होंगे।

(7) (क) गैर शैक्षणिक कार्यकारी अधिकारियों और सलाहकारों की नियुक्ति का विस्तार मामले-दर-मामले के आधार पर सहयुक्त निदेशक (प्रशासन और वित्त) की सिफारिश पर निदेशक द्वारा किया जाएगा।

(ख) सहयुक्त निदेशक एवं निदेशक का वार्षिक कार्य-आंकलन, अकादमी के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(8) (क) अकादमी के सभी कर्मचारी उनकी संविदा अवधि या विस्तारित संविदा अवधि पूरी होने के पश्चात यथा मामला, सिनेट के अध्यक्ष की सिफारिश पर तथा शासी बोर्ड की सिफारिश पर सेवांत फायदे जैसे छुट्टी बनाना, उपदान और अन्य फायदे प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ख) सेवांत फायदों के लिए मानक एक उप समिति द्वारा नियत किए जाएंगे जिसमें सिनेट के अध्यक्ष द्वारा गठित समिति के सदस्य भी सम्मिलित हैं।

(9) निदेशक, गैर शैक्षिक कर्तव्य और कृत्यों को ऐसी अवधि, ऐसे क्षेत्रों में और कर्मचारीवृंद के ऐसे स्तरों पर जैसा वह उचित समझे, आउटसोर्स कर सकेगा।

28. अकादमी के कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा कारबार का संचालन करना- (1) अकादमी के कार्यकारी प्राधिकरण और कार्यकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस रीति से करेंगे कि अकादमी के कामकाज में उच्च कार्यक्षम स्तर प्राप्त किया जा सके।

(2) खंड (1) के प्रयोजनों के लिए, अकादमी सभी मामलों में सामंजस्य से कृत्य करेगी।

(3) कार्यकारी प्राधिकरणों की कारबार के संचालन करने की परियोजनाओं के लिए साधारण नीति मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करने के लिए एक शीर्ष समिति का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता निदेशक करेगा, जिसमें सभी सहयुक्त निदेशक साधारण नियुक्ति मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने के लिए सदस्यों के रूप में सम्मिलित होंगे।

29. अकादमी का कारबार या कृत्य- (1) ऐसे कृत्य, जो प्रत्येक सहयुक्त निदेशकों की प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन अपेक्षित है, से निदेशालय का गठन किया जाएगा जबकि दूसरे कृत्य उपयुक्त अधिकारियों को प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे जिन्हें कार्यालय का गठन किया जाएगा।

(2) जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित निदेशालय अकादमी के कारबार का संचालन करेंगे, अर्थात: -

(क) शैक्षणिक कार्य निदेशालय;

(ख) छात्र कार्य निदेशालय;

(ग) संसाधन विकास और नेटवर्किंग निदेशालय;

(घ) संस्थान कार्य और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, ई-लर्निंग और दूरस्थ शिक्षा निदेशालय; और

(ङ) प्रशासन और वित्तीय सहायता निदेशालय

(क) शैक्षणिक कार्य निदेशालय- (i) शैक्षणिक कार्य निदेशालय सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) की प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कृत्य करेगा।

(ii) सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) द्वारा प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन संकायाध्यक्ष और सहयुक्त संकायाध्यक्ष, सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) की सहायता करेंगे।

(iii) शैक्षणिक कार्य निदेशालय निम्नलिखित कृत्य करेगा-

(क) बोर्ड, सिनेट और अध्ययन के बोर्ड की पाठ्यक्रम मॉड्यूल, पाठ्यक्रम तैयार करने और इन से जुड़े अन्य मामलों में सहायता करना;

(ख) उधार पद्धति और मूल्यांकन से संबंधित सभी मामलों को जाँचना;

(ग) परीक्षा का निरीक्षण-उसके आयोजन, परिणामों की घोषणा, पुनः परीक्षा या पुनर्मूल्यांकन के संबंध में परीक्षा का पर्यवेक्षण करना;

(घ) डॉक्टरेट समितियों का गठन और विधिमान्य करना;

(ङ) कार्य गुणवत्ता आश्वासन का अभ्यास; तथा

(च) ऐसे अन्य कृत्य जो अध्ययन बोर्ड और सिनेट द्वारा निर्देशित किए गए हों, का निष्पादन करना,

(ख) छात्र कार्य निदेशालय- (i) छात्र कार्य निदेशालय सहयुक्त निदेशक (छात्र कार्य) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कृत्य करेगा।

(ii) सहयुक्त निदेशक (छात्र कार्य) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में, संकायाध्यक्ष और सहयुक्त संकायाध्यक्ष सहयुक्त निदेशक (छात्र कार्य) की सहायता करेंगे।

(iii) छात्र कार्य निदेशालय निम्नलिखित कृत्य करेगा-

- (क) प्रवेश प्रक्रिया के सभी पहलुओं का निरीक्षण करना और समय-समय पर प्रवेश रचना करना;
- (ख) अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्र रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया का निरीक्षण और रूपात्मकता बनाना;
- (ग) प्रवेश समिति का गठन करना;
- (घ) सभी छात्रों की सभी शिकायतों और विवादों का समाधान करना;
- (ङ) छात्रों, कर्मचारीवृद्ध और पणधारियों से नियमित रूप से प्रतिक्रिया प्राप्त करना और उसके संबंध में अभिवृद्धि के लिए ऐसे कार्य करना;
- (च) विदेशी छात्रों से संबंधित नीति बनाने और क्रियान्वयन के लिए नेटवर्किंग और संसाधन निदेशालय को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना;
- (छ) ऐसे अन्य कृत्य, जो अध्ययन बोर्ड और सिनेट द्वारा निर्देशित किए जा सकें, का निर्वहन करना;
- (ग) संसाधन विकास और नेटवर्किंग निदेशालय-
- (i) संसाधन विकास और नेटवर्किंग निदेशालय, सहयुक्त निदेशक (संसाधन विकास और नेटवर्किंग) की प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कृत्यों का निर्वहन करेगा;
- (ii) सहयुक्त निदेशक (संसाधन विकास और नेटवर्किंग) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन, संकायाध्यक्ष और सहयुक्त संकायाध्यक्ष, सहयुक्त निदेशक (संसाधन विकास और नेटवर्किंग) की सहायता करेंगे;
- (iii) संसाधन विकास और नेटवर्किंग निदेशालय निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा-
- (क) अकादमी के विकास और वृद्धि के लिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापक योजना क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा;
- (ख) उद्योगों के साथ अन्योन्यक्रिया के लिए नीति बनाना और उद्योगों, लोकहितैषी संगठनों, व्यष्टियों से निधि जुटाना;
- (ग) पीठ आचार्य पदों, अध्येतावृत्तियों और उसके संबंधित अन्य मामलों तथा सरकार और अन्य स्रोतों योजना वित्त पोषण के लिए निधि जुटाना;
- (घ) विदेशी छात्रों के लिए छात्र कार्य निदेशालय के परामर्श से नीति बनाना और क्रियान्वयन करना तथा उसके संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना;
- (ङ) अकादमी के लिए शिक्षा और अनुसंधान क्रिया-कलापों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का पोषण करना;
- (च) अकादमी के अधीन विदेशी प्रशिक्षण अध्येतावृत्तियों और छात्रवृत्तियों संस्थित करना;
- (छ) अकादमी के कार्य क्षेत्रों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय रूप-रेखा से संबद्ध नियमित रूप से प्रभावी दस्तावेज, नीतिगत पेपर और प्रास्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करना;
- (ज) अकादमी के क्रिया-कलापों में नवीकृत की नीति द्वारा विकास और क्रियान्वयन, अवधारणाओं प्रक्रियाओं और पद्धतियों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना, पोषण करना और बनाए रखना;
- (झ) अकादमी के संकायों, छात्रों और अन्य सहयुक्तों में तकनीकी और शैक्षणिक उद्यमशीलता की प्रसुविधा सुकर बनाना;
- (ञ) अकादमी में अन्य पणधारियों या शिक्षा और अनुसंधान तथा विकास क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ मिलकर प्रवर्तित संस्कृति विकसित करना और उचित पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करना;
- (ट) प्रवर्तित सैक्टर के लिए प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को उत्प्रेरित करना;
- (ठ) राजस्व सृजन के नए और अनूठे तंत्र की पहचान करना;

- (ड) अध्ययन बोर्ड और सिनेट के द्वारा निर्देशित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना।
- (ढ) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, ई-लर्निंग और दूर शिक्षा निदेशालय.- (i) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, ई-लर्निंग और दूर शिक्षा निदेशालय संघ मार्गदर्शित होगा और सहयुक्त निदेशक (संस्थान कार्य और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कृत्य करेगा।
- (द) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, ई-लर्निंग और दूर शिक्षा निदेशालय निम्नलिखित कृत्य करेगा-
- (क) अकादमी के लिए ई-लर्निंग और दूर शिक्षा नीति बनाना;
- (ख) विषय वस्तु विकास का उत्तरदायित्व;
- (ग) उपयुक्त विषय वस्तु वितरण मंच विकसित करने का उत्तरदायित्व;
- (घ) प्रस्तावित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता का आश्वासन देना;
- (ङ) दूर शिक्षा कार्यक्रमों के अधीन प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना और छात्र कार्य निदेशालय को भी ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना;
- (च) दूर शिक्षा परिषद से संबंध और समन्वय स्थापित करना;
- (छ) अकादमी की कॉर्पोरेट संचार इकाई के रूप में कार्य करना;
- (ज) अकादमी के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नीति का सृजन करना;
- (झ) अकादमी के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना के संरक्षक के रूप में कार्य करना;
- (ञ) अकादमी होम पेज या वेबसाइट, डेटाबेस और उससे जुड़े अन्य मामलों को संपोषित करना; और
- (ट) अध्ययन बोर्ड और सिनेट के द्वारा निर्देशित किए गए ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना।
- (ड) प्रशासन और वित्तीय सहायता निदेशालय - (i) प्रशासन और वित्तीय सहायता निदेशालय सहयुक्त निदेशक (प्रशासन और वित्त) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कृत्य करेगा।
- (ii) सहयुक्त निदेशक (प्रशासन और वित्त) द्वारा प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में संकायाध्यक्ष, सहयुक्त संकायाध्यक्ष और वित्त समिति, सहयुक्त निदेशक (प्रशासन और वित्त) की सहायता करेंगे।
- (iii) प्रशासन और वित्तीय सहायता निदेशालय निम्नलिखित कृत्य करेगा-
- (क) सभी चारों निदेशालयों को सभी प्रशासनिक, विधिक और वित्तीय सहायता प्रदान करना;
- (ख) शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय केंद्रों के साथ अकादमी के समझौता ज्ञापन से संबंधित कार्यकलापों का समन्वय करना;
- (ग) अकादमी के लिए वार्षिक बजट तैयार करना;
- (घ) राजस्व सृजन- अकादमी के राजस्व उत्पादन और बजट के अनुसार व्यय को मॉनिटर करना;
- (ङ) अध्ययन बोर्ड और सिनेट के द्वारा निर्देशित किए गए ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना।
30. अध्ययन बोर्ड - (1) अध्ययन बोर्ड अकादमी के शैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए सिनेट की सहायता करेगा।
- (2) सिनेट, बोर्ड के अनुमोदन से ऐसे अध्ययन बोर्ड का सृजन कर सकेगा या उनको समाप्त कर सकेगा।
- (3) जब तक कि अभिव्यक्त से अन्यथा उपबंधित न हो, अकादमी में निम्नलिखित तीन अध्ययन बोर्ड होंगे, अर्थात: -
- (क) जैव और रासायन विज्ञान अध्ययन बोर्ड;
- (ख) इंजीनियरी और भौतिक विज्ञान अध्ययन बोर्ड;
- (ग) सूचना विज्ञान समूह और मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विधि और प्रबंध अध्ययन बोर्ड।
- (4) सिनेट, तीनों अध्ययन बोर्डों के आर-पार अंतर विषयक और परा-विषयक कार्यक्रम अर्थात्, नैनो जैव सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम आयोजित कर सकेगी।

(5) अकादमी के शैक्षिक कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के अध्ययन सिनेट, बोर्ड के अनुसमर्थन से, अन्य अध्ययन के बोर्ड का गठन कर सकेगी।

(6) सिनेट का अध्यक्ष, सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) के परामर्श से सिनेट की अनुज्ञा से अध्ययन बोर्ड के सदस्यों का नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

31. अध्ययन बोर्ड का गठन- (क) जैव और रासायन विज्ञान समूह के अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(I) सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) जो जैव और रासायन विज्ञान समूह के अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

(ii) जैव और रासायन विज्ञान समूह के दो संकायाध्यक्ष, जिनमें से एक को चक्रानुक्रम के आधार पर प्रत्येक उत्तरोत्तर बैठक के लिए सह-अध्यक्ष नियुक्त होगा;

(iii) दो समूहों का प्रतिनिधित्व सिनेट से दो सदस्य करेंगे;

(iv) दो वैज्ञानिक, बोर्ड या सिनेट में नामनिर्दिष्ट वैज्ञानिकों से भिन्न, प्रत्येक समूह से एक वैज्ञानिक;

(V) दो बाह्य विशेषज्ञ, बोर्ड या सिनेट में नामनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न, अधिमानतः अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी समूह प्रयोगशालाओं या उद्योगों के सदस्य; और

(Vi) तत्स्थानी समूहों का कोई एक सहयुक्त संकायाध्यक्ष, सदस्य सचिव होगा।

(ख) इंजीनियरी और भौतिक विज्ञान समूह के अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(i) सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) जो इंजीनियरी और भौतिक विज्ञान समूह के अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

(ii) इंजीनियरी और भौतिक विज्ञान समूह के दो संकायाध्यक्ष, जिनमें से एक को चक्रानुक्रम के आधार पर प्रत्येक उत्तरोत्तर बैठक के लिए सह-अध्यक्ष नियुक्त होगा;

(iii) इंजीनियरी और भौतिक विज्ञान प्रयोगशालाओं से सिनेट के दो सदस्य;

(iv) बोर्ड या सिनेट में नामनिर्दिष्ट वैज्ञानिकों से भिन्न, इंजीनियरी और भौतिक विज्ञान प्रयोगशालाओं से दो वैज्ञानिक;

(V) दो बाह्य विशेषज्ञ, बोर्ड या सिनेट में नामनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न, अधिमानतः अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी समूह प्रयोगशालाओं या उद्योगों के सदस्य; और

(Vi) तत्स्थानी समूहों का कोई एक सहयुक्त संकायाध्यक्ष, सदस्य सचिव होगा।

(ग) सूचना विज्ञान समूह और विधि, मानविकी प्रबंध विज्ञान के अंतरविषयक अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(i) सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) सूचना विज्ञान समूह और विधि, मानविकी प्रबंध विज्ञान के अंतरविषयक अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

(ii) सूचना विज्ञान समूह के संकायाध्यक्ष सह-अध्यक्ष के रूप में कृत्य करेगा;

(iii) अध्ययन के तत्स्थानी क्षेत्रों से सिनेट के दो सदस्य;

(iv) बोर्ड या सिनेट में नामनिर्दिष्ट वैज्ञानिकों से भिन्न, प्रयोगशालाओं या प्रभागों से दो वैज्ञानिक;

(V) दो बाह्य विशेषज्ञ, बोर्ड या सिनेट में नामनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न, अधिमानतः अनुसंधान परिषद की तत्स्थानी समूह प्रयोगशालाओं या उद्योगों के सदस्य; और

(Vi) तत्स्थानी समूहों का कोई एक सहयुक्त संकायाध्यक्ष, सदस्य सचिव होगा।

32. अध्ययन बोर्ड की शक्तियां और कृत्य - (1) अध्ययन बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

(क) सिनेट को अध्ययन के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को आरंभ किए जाने और अनुगमन किए जाने की सिफारिश करना;

- (ख) अध्यादेशों के अध्ययधीन अकादमी में आचार्य पद और अन्य सहायक संकाय पदों के सृजन हेतु सिनेट को सिफारिश करना;
- (ग) अकादमी के अधीन नए शिक्षण केंद्र और लर्निंग आउटरीच केन्द्रों की स्थापना करना और सम्मिलित किए जाने के संबंध में सिफारिश करना;
- (घ) अनुसंधान, शिक्षण, पाठ्यक्रम विकास और इससे जुड़े अन्य मामलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष समितियां और कार्यदल स्थापित करना;
- (ङ) अकादमी को अंतर-विषयक और परा-विषयक क्षेत्रों में विशेष अध्ययन कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए और भारत में और विदेश में उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ आपसी संसाधन साझा करने के प्रोटोकॉल को विकसित करने में सक्षम किए जाने के लिए उपबंध बनाने के संबंध में सिनेट के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना;
- (च) परीक्षाओं का पर्यवेक्षण करना और डिग्री प्रदान करना;
- (छ) अकादमी द्वारा प्रस्तावित शिक्षण कार्यक्रमों में गुणवत्ता आश्वासन का पर्यवेक्षण करना;
- (ज) अकादमी की सिनेट द्वारा अनुमोदन के अध्ययधीन और बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अध्ययधीन एक वर्ष की अवधि से अनधिक के लिए संविदात्मक और अन्य असाधारण आज्ञा को अग्रसर करने हेतु अपेक्षित संविदात्मक और अन्य असाधारण वचनबद्ध या रिटेनरशिप को कर सकेगा।
- (झ) सत्र संबंधी कार्य के मूल्यांकन के लिए साधारण नियम बनाना;
- (ञ) शिक्षण और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए योजनाओं पर विचार करना और अनुमोदन के लिए सिनेट के समक्ष ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करना;
- (ट) अकादमी की साधारण समय-सारणी बनाना;
- (ठ) अध्यादेशों में उपबंधित ऐसे अन्य सभी कृत्यों का निर्वहन करना और ऐसे सभी मामलों, जो उसे निर्देशित किए जा सके, पर विचार करना;
- (ड) अध्ययन बोर्ड द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसी साधारण या विशेष शक्तियां, संकायाध्यक्ष या अध्ययन बोर्ड किसी अन्य सदस्य को या एक समिति को, जैसा वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करना;

33. अध्ययन बोर्ड की बैठक.- (1) प्रत्येक अध्ययन बोर्ड की बैठक या तो साधारण या विशेष होगी।

(2) साधारण बैठक सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) और संबंधित संकायाध्यक्ष द्वारा एक वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी।

(3) सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) या संबंधित संकायाध्यक्ष स्वप्रेरणा पर विशेष बैठक बुला सकेंगे या यह अकादमी के कुलपति के सुझाव पर बुलाई जाएगी या अध्ययन बोर्ड के सदस्यों के कम से कम पांचवें भाग से प्राप्त एक लिखित अनुरोध पर बुलाई जाएगी।

(4) संबंधित विषय का संकायाध्यक्ष थीसिस के पुनर्विलोकनकर्ता या विषय, शीर्षक या गाइड परिवर्तन या ऐसे अन्य कार्यकलापों जिनका अध्ययन बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन कराया जाएगा, का विनिश्चय कर सकेगा।

(5) बैठक वस्तुतः उपस्थिति द्वारा या विभिन्न सुरक्षित संचार पद्धतियों जैसे स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकांफ्रेंस और अन्य संचार पद्धतियों का उपयोग करके आयोजित की जा सकेगी।

34. अध्ययन बोर्ड की पदावधि और उसका विघटन.- (1) अध्ययन बोर्ड की पदावधि तीन वर्ष होगी और जिसका उसकी पदावधि पूरा होने के बाद पुनर्गठन किया जाएगा।

(2) बोर्ड, सिनेट की सिफारिश पर एक या सभी अध्ययन बोर्ड को भंग कर सकेगा, परंतु ऐसे विघटन के लिए एक प्रस्ताव सिनेट की बैठक में प्रस्तुत और साधारण बहुमत से पारित कर दिया गया हो।

35. बैठक की सूचना- (1) अध्ययन बोर्ड की बैठक की सूचना विशेष बैठक से भिन्न, बैठक के लिए नियत दिन से कम से कम सात दिन पूर्व जारी की जाएगी,

परंतु विशेष बैठक कम से कम पाँच दिन की सूचना से नियत की जा सकेगी;

(2) शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में बैठकों के आयोजन के लिए कैलेंडर बनाया जाएगा।

36. बैठक संचालन की प्रक्रिया- (1) संबंधित अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड की बैठक का संचालन करने के लिए प्रक्रियाओं का विनिश्चय कर सकेगा।

(2) गणपूर्ति बनाने के लिए कम से कम एक-तिहाई सदस्यों, जिसके अंतर्गत दो संकायाध्यक्ष या सहयुक्त संकायाध्यक्ष भी हैं, की वस्तुतः उपस्थिति द्वारा या विभिन्न सुरक्षित संचार पद्धतियों जैसे स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकांफ्रेंस और अन्य संचार पद्धतियों द्वारा भागीदारी आवश्यक होगी।

परंतु सूचना विज्ञान समूह के अध्ययन बोर्ड की बैठक गणपूर्ति बनाने के लिए या तो संकायाध्यक्ष या सूचना विज्ञान समूह के सहयुक्त संकायाध्यक्ष सम्मिलित होंगे।

37. वित्त समिति (1) सभी वित्तीय मामलों के संबंध में विचार करने और सिनेट को सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए एक वित्त समिति होगी।

(2) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः -

(क) अकादमी का निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) सहयुक्त निदेशक (प्रशासन और वित्त) - सदस्य;

(ग) सहयुक्त निदेशक (संसाधन विकास और नेटवर्क) - सदस्य;

(घ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक वित्तीय विशेषज्ञ - सदस्य;

(ङ) सिनेट के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सिनेट का एक सदस्य- सदस्य और

(च) सहायक निदेशक (प्रशासन और वित्त) या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ प्रबंधक (प्रशासन) सचिव होगा।

38. वित्त समिति की शक्तियाँ और कृत्य (1) वित्त समिति निम्नलिखित कृत्य करेगी-

(क) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अकादमी का बजट और वित्तीय योजना तैयार करना;

(ख) बोर्ड के समक्ष अनुदानों और धन के सभी प्रस्तावों पर सिफारिश देना, जो कि बोर्ड के समक्ष रखने से पूर्व विचार-विमर्श के लिए वित्त समिति को विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ग) अकादमी की किसी विशिष्ट पहल पर जिसमें वित्तीय विवक्षा हो, पर सिफारिश करना;

(घ) अकादमी के उचित और पृथक खाते, पूरे ब्योरे सहित रखना और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर लेखा परीक्षा करवाना;

(ङ) बोर्ड और सिनेट द्वारा निर्देशित ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का निर्वहन करना।

39. वित्त समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि - वित्त समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्य नामांकन के समय पर विनिर्दिष्ट अवधि या जब तक नया नामांकन न कर दिया जाए, जो भी पहले हो, के लिए इस समिति के सदस्य होंगे।

40. वित्त समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति - (1) वित्त समिति की बैठक में गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम तीन सदस्यों की भागीदारी आवश्यक होगी, जिनमें से कम से कम एक वित्तीय विशेषज्ञ होगा।

(2) बैठक में भागीदारी, या तो वस्तुतः उपस्थिति से या विभिन्न सुरक्षित संचार पद्धतियों जैसे स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकांफ्रेंस और अन्य संचार पद्धतियों के उपयोग द्वारा, बैठक की गणपूर्ति के लिए की जा सकेगी।

41. बोर्ड, सिनेट, अध्ययन बोर्ड और उप-समितियों के सदस्यों की हकदारी.- बैठक में वस्तुतः उपस्थिति द्वारा या विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचार पद्धतियों जैसे स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकांफ्रेंस और अन्य संचार पद्धतियों के

उपयोग द्वारा हाजिर होने वाले बोर्ड, सिनेट, अध्ययन बोर्ड और समय-समय पर गठित उप-समितियों के अन्य सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगे, अर्थात:-

- (क) अकादमी द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार मानदेय या बैठक फीस  
 (ख) बैठक में उपस्थित होने के लिए यात्रा में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति  
 (ग) आवास की व्यवस्था या इसके बदले, बैठक में हाजिर होने के लिए आवास के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति

42. अनुसंधान संस्थान, प्रयोगशालाएं, केन्द्र और इकाइयां- (1) संस्थान या प्रयोगशालाएं या केन्द्र या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की घटक इकाइ जो निम्न सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट की गई है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान अकादमी की अनुसंधान संस्थान या प्रयोगशालाएं या केन्द्र या घटक इकाइयां होंगी और अनुसंधान संस्थान या प्रयोगशालाएं या केन्द्र या परिषद की घटक इकाइयों की वेबसाइट के पते, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किया गया है।

सारणी

क्रम सं	सीएसआईआर प्रयोगशाला / केन्द्र / इकाइयों का नाम	<a href="http://www">HTTP://www</a>
(1)	(2)	(3)
1.	सीएसआईआर-प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर - एम्प्री) भोपाल	ampri.res.in
2.	सीएसआईआर- केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीबीआरआई), रुड़की	cbri.org.in
3.	सीएसआईआर-सेलुलर और आण्विक जीव विज्ञान केन्द्र (सीएसआईआर-सीसीएमबी) हैदराबाद	ccmb.res.in
4.	सीएसआईआर-केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीडीआरआई), लखनऊ	cdri.res.in
5.	सीएसआईआर-केंद्रीय विद्युत रसायनिक अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीईसीआरआई), कराइकुडी	cecri.res.in
6.	सीएसआईआर-सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीरी), पिलानी	ceeri.res.in
7.	सीएसआईआर-केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएफटीआरआई), मैसूर	cftri.com
8.	सीएसआईआर-सेंट्रल ग्लास और सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर-सीजीसीआरआई), कोलकाता	cgcri.res.in
9.	सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय तथा सुगंधित पौधा संस्थान (सीएसआईआर-सीमैप), लखनऊ	cimap.res.in
10.	सीएसआईआर-केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीआईएमएफआर), धनबाद	cimfr.nic.in
11.	सीएसआईआर-केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएलआरआई), चेन्नई	clri.nic.in
12.	सीएसआईआर-केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएमईआरआई), दुर्गापुर	cmeri.res.in
13.	सीएसआईआर-चौथाई प्रतिमान संस्थान (सीएसआईआर-4PI), बंगलौर (पूर्व),	cmmacs.ernet.in



	गणितीय मॉडलिंग और कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए सीएसआईआर-सेंटर)	
14.	सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीआरआरआई), नई दिल्ली	crridom.gov.in
15.	सीएसआईआर-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआईआर-सीएसआईओ), चंडीगढ़	csio.res.in
16.	सीएसआईआर-केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआइ), भावनगर	csmcri.org
17.	सीएसआईआर - जिनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान (सीएसआईआर-आईजीआईबी), नई दिल्ली	igib.res.in
18.	सीएसआईआर-हिमालय जैवसंसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईएचबीटी), पालमपुर	ihbt.res.in
19.	सीएसआईआर-भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान (सीएसआईआर-आईआईसीबी), कोलकाता	iicb.res.in
20.	सीएसआईआर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद (सीएसआईआर-आईआईसीटी)	iictindia.org
21.	सीएसआईआर-भारतीय एकीकृत औषध संस्थान (सीएसआईआर - आईआईआईएम), जम्मू	iiim.res.in
22.	सीएसआईआर- भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, (सीएसआईआर-आईआईपी), देहरादून	iip.res.in
23.	सीएसआईआर- भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर - आईआईटीआर), लखनऊ	iiitrindia.org
24.	सीएसआईआर-खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर - आईएम एम टी), भुवनेश्वर	immt.res.in
25.	सीएसआईआर- सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-इमटैक), चंडीगढ़	imtech.res.in
26.	सीएसआईआर- राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (सीएसआईआर-एनएएल), बंगलौर	nal.res.in
27.	सीएसआईआर-राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनबीआरआई), लखनऊ	nbri.res.in
28.	सीएसआईआर-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनसीएल), पुणे	ncl-india.org
29.	सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-नीरी), नागपुर	neeri.res.in
30.	सीएसआईआर-उत्तर-पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी (सीएसआईआर-एनईआईएसटी) संस्थान, जोरहाट	neist.res.in
31.	सीएसआईआर-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनजीआरआई), हैदराबाद	ngri.org.in
32.	सीएसआईआर-राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान	niist.res.in

	(सीएसआईआर-एनआईआईएसटी), तिरुवनंतपुरम	
33.	सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान (सीएसआईआर-एनआईओ) संस्थान, गोवा	nio.org
34.	सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-निस्केयर), नई दिल्ली	niscair.res.in
35.	सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन (सीएसआईआर- निस्टैड्स) संस्थान, नई दिल्ली	nistads.res.in
36.	सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनएमएल), जमशेदपुर	nmlindia.org
37.	सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनपीएल), नई दिल्ली	nplindia.org
38.	सीएसआईआर-स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर (सीएसआईआर-एसईआरसी), चेन्नई	serc.res.in
39.	सीएसआईआर-सूचना उत्पादों के अनुसंधान और विकास के लिए इकाई (सीएसआईआर-युआरडीआईपी), पुणे	urdip.res.in
40.	सीएसआईआर मुख्यालय और इसकी अन्य इकाइयां	csir.res.in
41.	सीएसआईआर-मानव संसाधन विकास केंद्र (सीएसआईआर-एच आर डी सी)	csirhrdc.res.in
42.	सीएसआईआर-पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (सीएसआईआर-टी के डी एल)	tkdl.res.in

(2) संस्थान या प्रयोगशालाएं या केन्द्र या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की घटक इकाइयों के संसाधन और अवसंरचना, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान अकादमी और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार अकादमी को उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे।

टिप्पण - यदि भविष्य में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला या इकाई का सृजन होता है, तो यह अनुसंधान संस्थान समझा जाएगा और यदि किसी भी प्रयोगशाला का विलय कर दिया जाता है या वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद के शासी निकाय द्वारा उसे बंद कर दिया जाता है तो तत्स्थानी प्रयोगशाला या केंद्र या इकाई, अकादमी का अनुसंधान संस्थान या केन्द्र या इकाई नहीं रहेंगी।

43. अकादमी के संकाय पद- इस प्रयोजन के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं और उसकी घटक इकाइयों से चुने गए वैज्ञानिकों पर अकादमी के संकाय और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के रूप में कृत्य करने की दोहरी भूमिका होगी।

(2) वैज्ञानिक, संकाय के ऐसे पदनाम धारण करेंगे जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अपने विभिन्न स्तर के वैज्ञानिकों के लिए उचित समझे।

(3) वैज्ञानिकों का चयन सिनेट द्वारा अनुमोदित संकाय के मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा।

(4) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों में से तैयार की गई संकाय सदस्यों की सूची, प्रख्यात वैज्ञानिकों और अवकाश प्राप्त वैज्ञानिकों सहित को सिनेट के अनुमोदन के लिए उसके पास सूची को अग्रेषित करेगा।

(5) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का महानिदेशक अकादमी के संकाय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से तैयार की गई सूची में तत्पश्चात कोई भी परिवर्तन कर सकेंगे।

(6) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से चयन किए गए संकाय के सभी पद अवैतनिक होंगे और उनकी सेवानिवृत्ति या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से सेवानिवृत्ति के पश्चात एक साथ समाप्त होंगे। परंतु, प्रतिष्ठित सेवामुक्त आचार्य या विशिष्ट आचार्य के रूप में या एक प्रायोजित आचार्य पद के रूप में, उनके द्वारा धारित किए गए पदों के अनुरूप पारिश्रमिक के साथ, बोर्ड के अनुमोदन से सेवानिवृत्ति के पश्चात संकाय सदस्यों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा।

(7) सिनेट आकलन और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की नियुक्ति के पश्चात समय-समय पर संकाय की सूची को अद्यतन करेगा।

(8) अकादमी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों, जो सेवानिवृत्त हैं, को निदेशक की सिफारिश पर, पदनाम से अकादमी के संकाय सदस्यों के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(9) बोर्ड, प्रख्यात वैज्ञानिकों, हस्तियों, शिक्षाविदों और अन्य हस्तियों, जिनके लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं होगा, का सम्मान कर सकेगा और "अकादमी का आचार्य" का उच्च शीर्षक प्रदान कर सकेगा।

(10) अकादमी आचार्य पद सबसे असाधारण शैक्षिक योगदान और असाधारण विद्वत्तापूर्ण के कृत्य के साथ प्रख्यात व्यष्टियों को ही भेंट किए जा सकेंगे।

(11) सिनेट की सिफारिश पर और शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीएसआईआर के महानिदेशक और अन्य विख्यात वैज्ञानिक, जो प्रतिष्ठित हैं, को अकादमी के प्रतिष्ठित आचार्य के रूप में सम्मान किया जाएगा।

(12) बोर्ड, अकादमी के कुशल संचालन के लिए, जीतने आवश्यक समझे, उतने कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा।

44. निदेशक, सहयुक्त निदेशक, संकायाध्यक्ष और सहयुक्त संकायाध्यक्ष से भिन्न शैक्षणिक कर्मचारीवृंद की भर्ती -

(1) अकादमी में शैक्षणिक पद के लिए सीधी भर्ती समुचित विज्ञापन के पश्चात, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

(2) अकादमी भारत या विदेश से अन्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से सहायक और अतिथि संकाय के पदों पर भरने पर विचार कर सकेगी।

(3) संकाय के रूप में भर्ती किए जाने के लिए अर्हताएँ और पात्रता मानदंड और नियुक्त व्यक्तियों को दिए जाने वाले पदनाम, समय-समय पर, बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

45. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिकों के अवैतनिक शैक्षणिक पद, जो निम्न सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, को अकादमी में, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा

सारणी

क्रम सं	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में पद	वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी में पद
(1)	(2)	(3)
1.	वैज्ञानिक	सहायक आचार्य
2.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक	
3.	प्रधान वैज्ञानिक	सहयुक्त आचार्य
4.	ज्येष्ठ प्रधान वैज्ञानिक आचार्य	आचार्य
5.	मुख्य वैज्ञानिक	
6.	निदेशक / उत्कृष्ट वैज्ञानिक	उत्कृष्ट आचार्य
7.	विशिष्ट वैज्ञानिक	विशिष्ट आचार्य
8.	सीएसआईआर मानद वैज्ञानिक	मानद आचार्य
9.	महानिदेशक (पूर्ण कालिक)	श्रेष्ठ आचार्य

टिप्पण - पदनाम वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी के संकाय के मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुसार दिए गए हैं।

46. अन्य शैक्षणिक पद- अकादमी में अन्य शैक्षणिक पद, उनकी पात्रता और नियुक्ति के स्वरूप को निम्न सारणी में स्तंभ (2), स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है: -

सारणी

क्रम सं	अकादमी में पद	पात्रता	नियुक्ति का स्वरूप
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सहायक संकाय (आचार्य, सहयुक्त आचार्य, सहायक आचार्य) (तीन वर्ष की पदावधि, नवीकरणीय)	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान में भाग लेने वाले अन्य संस्थानों, उद्योगों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों / इकाइयों से शिक्षाविद	अवैतनिक
2.	मानद आचार्य (तीन वर्ष की पदावधि, नवीकरणीय)	सेवानिवृत्त मानद शिक्षाविद / नियमित पदों से अवकाशप्राप्त हुए	समय-समय पर अधिसूचना द्वारा पारिश्रमिक नियत किया जा सकेगा
3.	प्रख्यात मानद आचार्य (तीन वर्ष की पदावधि, नवीकरणीय)	सेवानिवृत्ति पार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निदेशक / विशिष्ट / प्रख्यात वैज्ञानिक	समय-समय पर अधिसूचना द्वारा पारिश्रमिक नियत किया जा सकेगा
4.	श्रेष्ठ आचार्य	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के समतुल्य श्रेष्ठता वाले शिक्षाविद / वैज्ञानिक	अवैतनिक
5.	अकादमी आचार्य (आजीवन पद)	सर्वोच्च राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठता प्राप्त शिक्षाविद / वैज्ञानिक	अवैतनिक

47. नियुक्ति की शक्तियों का प्रत्यायोजन.- (क) बोर्ड, अवैतनिक आचार्य नियुक्त करने और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के ऐसे वैज्ञानिकों जो सेवानिवृत्त या अवकाश प्राप्त हो चुके हैं, को मानद आचार्य उपाधि प्रदान करने की शक्ति, सिनेट को प्रत्यायोजन कर सकेगा।

(ख) अवैतनिक या मानद आचार्य सिनेट या बोर्ड का पदेन सदस्य नहीं होगा।

48. डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करना - (1) अकादमी द्वारा प्रदत्त डिग्री जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, परंतु इन तक सीमित नहीं है, अर्थात्: -

(i) एम.टेक;

(ii) विज्ञान, इंजीनियरी और सामाजिक विज्ञान और मानविकी में पीएचडी;

(iii) एकीकृत एम.टेक - इंजीनियरी में पीएचडी;

(iv) विज्ञान या इंजीनियरी में एकीकृत पीएचडी;

(v) एकीकृत एम.एससी - विज्ञान में पीएचडी;

(vi) विज्ञान और इंजीनियरी में रिसर्च द्वारा एम.एस;

(vii) ऑनर्स द्वयात्मक डिग्री;

(viii) परिष्कृति स्कूल स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एक / दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा); और

(IX) नए ज्ञान वाले प्रस्तावित क्षेत्रों में डिप्लोमा (अल्पकालिक डिप्लोमा)

(2) डिग्री और डिप्लोमा प्रदत्त करने का विनिश्चय सिनेट द्वारा किया जाएगा।

49. कार्यक्रम के लिए फीस - (1) सिनेट समय-समय पर अकादमी द्वारा प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए फीस विशेष रूप से निर्धारित करेगा।

(2) अकादमी के कार्यक्रमों के लिए फीस ऐसी होगी कि वह समाज के कमजोर वर्ग को नए ज्ञान की पहुँच से निवारित न करे।

(3) अकादमी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रेरित प्रतिभाशाली छात्रों को आकर्षित करने और सहायता प्रदान के लिए अध्येतावृत्ति उपलब्ध कराने के लिए उपबंध करेगी।

(4) फीस सरकार समर्थित तकनीकी और वृतिका संस्थानों के साथ तुलनीय होनी चाहिये।

(5) सिनेट, समय-समय पर, फीस संग्रह की पद्धतियों का विनिश्चय करेगी।

50. विलम्ब फीस.- सिनेट, देरी से भुगतान करने के मामलों में विलंब फीस प्रभारित करेगी और विलंब शुल्क या जुर्माना और अन्य संबंधित मुद्दों के व्योरे, परिनियमों के उपबंधों के अनुसार होंगे।

51. पुरस्कार, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति आदि संस्थित करना- (1) सिनेट, अकादमी से संबंधित सभी दान प्रसुविधाओं और पुरस्कारों का प्रशासन एक 'दान और पुरस्कार समिति' के माध्यम से करेगी।

(2) दान और पुरस्कार समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

(क) अकादमी निदेशक - अध्यक्ष;

(ख) सहयुक्त निदेशक (संसाधन विकास और नेटवर्किंग) और सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) - सदस्य;

(ग) सभी संकायाध्यक्ष- सदस्य;

(घ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक द्वारा एक नामनिर्देशिनी - सदस्य; और

(ङ) एक बाह्य सदस्य, जिसने किसी विश्वविद्यालय में आचार्य के पद से नीचे की पंक्ति का न हो सेवा की हो या कर रहा हो या राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में समतुल्य अधिकारी हो।

(3) समिति दान या उपकृति के प्रबंध की प्रक्रिया अधिकथित करेगी:

परंतु जहां किसी दान, विन्यास या उपकृति के लिए संलग्न शर्तें और निबंधन में उसके प्रबंधन के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया उपबंधित है, तो ऐसी प्रक्रिया अभीभावी होगी।

(4) दान और पुरस्कार समिति विभिन्न पुरस्कारों और अध्येतावृत्तियों के प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

(5) बोर्ड, सिनेट की सिफारिश पर पुरस्कारों और अध्येतावृत्तियों को विभिन्न रूपों में संस्थित कर सकेगा और ऐसे पुरस्कारों और अध्येतावृत्तियों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, परंतु निर्बंधित नहीं होंगे, अर्थात्,

(i) विशेष पदक और प्रशस्ति;

(ii) पूर्व डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट और अध्ययन के विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए विन्यास अध्येतावृत्ति;

(iii) सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान पुरस्कार;

(iv) नवीकृत प्रौद्योगिकी पुरस्कार;

(v) यात्रा अध्येतावृत्ति;

(vi) मेधा छात्रवृत्ति;

(vii) अनुसंधान पर्यवेक्षकों के लिए वजीफा।

(6) दान और पुरस्कार समिति, समय समय पर, पुरस्कार और अध्येतावृत्ति संस्थित करने के लिए प्रक्रियाओं के व्योरे बनाएगी जो सिनेट के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(7) अकादमी बाह्य अभिकरणों से अनुदान स्वीकार कर सकेगी या बोर्ड के अनुमोदन से ऋण एकत्र सकेगी: परंतु वित्त समिति की सहमति के बिना-

- (क) कोई अनुदान स्वीकार नहीं किया जाएगा, या  
(ख) कोई ऋण एकत्र नहीं किया जाएगा।

(8) कोई भी छात्र अकादमी की ओर से किसी भी अध्येतावृत्ति या सहायकवृत्ति या वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा,

परंतु अकादमी के छात्र वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर परिषद की अध्येतावृत्ति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति, ज्येष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति या अन्य स्रोतों से अन्य अध्येतावृत्तियां प्राप्त कर सकेंगे:

परंतु, और यह कि, अकादमी समाज के कमजोर वर्ग के मेधावी, प्रतिभाशाली, प्रेरित छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति दे सकेगी या उद्योगों या लोकहितैषी इकाइयों द्वारा प्रायोजित अध्येतावृत्ति प्रदान कर सकेगी।

(9) अकादमी के छात्रों के लिए खंड (8) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेश कोई भी अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकेंगे।

(10) अकादमी, उक्त समय अवधि में दिए गए सभी दान, उपकृतियों और विन्यासों के साथ सभी पुरस्कारों पदकों अध्येतावृत्तियों को अंतर्विष्ट करके वार्षिक रिपोर्ट में एक सूची होगी।

(11) (क) इन परिणियमों में इस बात के होते हुए भी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं के पुरस्कार, उपकृतियां और विन्यासों को, अकादमी के अपने संबंध को विचार में लाए बिना, हो सकेंगे।

(ख) अध्येतावृत्तियों, पुरस्कारों, दान और विन्यासों, उनके प्रबंध और उससे जुड़े अन्य मामलों का विनिश्चय क्रमशः संबंधित प्रयोगशालाओं द्वारा निरंतर किया जाता रहेगा और वह इन पर नियमों के अधीन नहीं होंगे।

52. संपदा, विन्यास, दान और उपकृतियां आदि का प्रबंध- (1) अकादमी की यथा आवश्यक अपनी स्व संपदा होगी।

(2) अकादमी के स्वामित्व वाली संपदा या तो पूर्ण स्वामित्व वाली होगी या निन्यानवे वर्ष से अन्यून वर्ष के लिए पट्टे पर ली हुई होगी।

परंतु अकादमी किसी भी आवास को लघुतर अवधि, संचालन के लिए इसके नवीकरण के एक उपबंध के साथ किराए पर या पट्टे पर दे सकेगी।

(3) अकादमी के लिए स्वामित्व विलेखों और पट्टा विलेखों पर अकादमी के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) अकादमी द्वारा स्वामित्व या पट्टे पर या किराए पर ली गई सम्पदा को अकादमी उन प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकेगी जो आज्ञा के अनुरूप हैं।

(5) अकादमी स्व सम्पदा को खंड (4) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में ले सकेगी, अर्थात्: -

(क) शिक्षण और अनुसंधान की अवसंरचना का निर्माण हेतु;

(ख) अकादमी की आज्ञा को अग्रसर करने हेतु बगीचे और ऊष्माभिन्न का निर्माण करने हेतु;

(ग) अनुषंगी सुविधाओं जैसे अतिथिगृह, सम्मेलन केंद्र, प्रदर्शनी मंडप और अन्य सुविधाएं निर्माण करने हेतु;

(घ) प्रायोगिक खेतों, कार्यशालाओं और परीक्षण सुविधाओं का निर्माण करने हेतु;

(6) अकादमी का सम्पदा कार्यालय होगा जो अकादमी की सम्पदा कार्य का प्रशासन करने के लिए सशक्त होगा।

(7) अकादमी का एक कार्यालय होगा जो दान, विन्यासों और उपकृतियों का प्रशासन करने के लिए सशक्त होगा।

(8) अकादमी दान, विन्यास और उपकृति की स्वीकृति से पहले दाताओं के पूर्ववृत्त का उचित सत्यापन पूरा करेगी।

(9) अकादमी द्वारा प्राप्त विन्यास, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सभी धन और अन्य जंगम आस्तियां हैं परंतु दान और संदान तक ही निर्बंधित नहीं हैं।

(10) इन परिनियमों अध्यक्षीन अकादमी स्व संसाधनों के संवर्धन और शिक्षण, अधिगम और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता अग्रसर करने हेतु दान की याचना और स्वीकृति को बढ़ावा देगी।

(11) (क) अकादमी ऐसा कोई भी दान स्वीकार नहीं करेगी जो कि उसे अन्य दाताओं से दान स्वीकार करने से रोकता हो;

(ख) अकादमी ऐसा कोई भी दान स्वीकार नहीं करेगी जो कि उस समय प्रवृत्त किसी भी विधि या विनियम का उल्लंघन करता हो और किसी भी दान को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है;

(ग) अकादमी को दान देने का कृत्य अप्रतिसहर्णीय होगा और दान तथा उपहार का प्रयोजन, एक बार स्वीकार कर लेने के बाद, विद्यमान नीतियों और अकादमी की प्रक्रियाओं के अध्यक्षीन होगा।

(12) (क) दानकर्ता द्वारा किए गए दान की मान्यता में, अकादमी बोर्ड के अनुमोदन से दाता को नामकरण जैसे कि अकादमी के भीतर पीठ आचार्य या अध्येतावृत्ति आदि का अवसर प्रदान करेगी।

(ख) बोर्ड, समय-समय पर नामकरण अवसर के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए दान का न्यूनतम स्तर का विनिश्चय कर सकेगा और मामले-दर-मामले के आधार पर होगा।

(13) (क) अकादमी द्वारा प्राप्त सभी दान का उपयोग दान प्रयोजन के अनुसार किया जाएगा;

(ख) दाता और दान से संबंधित सभी जानकारी को गोपनीय रूप में रखा जाएगा, जब तक कि ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण न्यायालय के आदेश के अनुसरण में न हो या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुपालन में अपेक्षित न हो।

(ग) अकादमी दान दाताओं और उनके दान को इस संबंध में बनाए गए अध्यादेश के अंतर्गत समुचित रूप से अभिस्वीकृत और मान्य करेगी।

(14) खंड (13) में इस बात के होते हुए भी, कि यदि नामकरण अवसर प्रस्तावित दानकर्ता की बदनामी हो जाती है या पश्चातवर्ती किसी तारीख पर दाता द्वारा प्रस्तावित नाम बदनाम पाया जाता है तो अकादमी प्रासंगिक नाम या दान, दान या उपकृति का उपयोग बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया जाए, बंद कर सकेगी।

(15) अकादमी दान को उसी परियोज्य के लिए उपयोग करने का प्रयास करेगी जिसके लिए उसे प्राप्त किया गया था।

परंतु बोर्ड, असाधारण परिस्थितियों में अकादमी की अपेक्षाओं के अनुरूप दान के प्रयोजन का एक सीमा तक परिवर्तन कर सकेगी।

(16) बोर्ड के अनुमोदन पर, विन्यास कार्यालय दान प्रयोजन के परिवर्तन हेतु दानदाता से सहमति अभिप्राप्त करेगा।

(17) अकादमी दान का उपयोग और दान प्रयोजन के अनुसार दान का प्रबंधन कर सकेगी और दान तथा निधि का निवेश कर सकेगी।

(18) अकादमी को दान दी गई निधि को वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विन्यास नाम के कोष में रखा जाएगा।

(19) यह कोष पूंजी का गठन करेगा और ऐसे सभी विन्यासों के संबंध में किए जाने वाले सभी भुगतान, उक्त विन्यास कोष से प्रोद्भूत आय से भुगतान किया जाएगा।

(20) (क) अकादमी, इस परिनियम के उपबंधों के अनुसार कोष का प्रबंधन कर सकेगी।

(ख) अकादमी, सहयुक्त निदेशक (प्रशासन और वित्त) की अध्यक्षता में, जिसमें पांच सदस्यों से अन्यून सदस्य सम्मिलित होंगे, एक विन्यास कोष समिति का गठन करेगी, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई भी निवेश करने की शक्ति होगी।

(ग) अकादमी, कोष प्रबंधन के लिए सभी व्ययों का कोष की आय में से भुगतान करेगी।

(घ) बोर्ड, समय-समय पर, कोष की आय के ऐसे भाग को, कोष की पूंजी के हिस्से के रूप में प्रभाजित कर सकेगा, जो मुद्रास्फीति और ऐसे अन्य कारकों के कारण कोष की पूंजी के मूल्य में किसी भी मूल्यहास को मुजरा करने के रूप में कोष की पूंजी के मूल्य को संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो।

(ङ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में, प्रत्येक विन्यास एक पूर्व नियत दर पर उपभोजित आय का एक वार्षिक वितरण प्राप्त करेगा जो वित्त समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा नियत किया जाएगा।

(21) अकादमी का विन्यास कोष बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा।

53. अन्य संगठनों और संस्थानों के साथ संबंध- (1) अकादमी अपने उद्देश्यों और कार्यकलापों की प्राप्ति के लिए अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के साथ शैक्षिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगी।

(2) अनुसंधान और विकास के प्रयोजनों के लिए अकादमी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नेटवर्क से भिन्न सरकार से संबंधित किसी भी विभाग या केंद्रीय सरकार के मंत्रालय के किसी भी संस्थान या केंद्र या प्रयोगशाला के साथ सहज संबंधों को बढ़ावा दे सकेगी।

(3) संबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे, परंतु निर्बंधित नहीं होंगे, अर्थात:-

(क) अनुसंधान कामकाज के लिए छात्रों का आवागमन;

(ख) अनुसंधान और शिक्षण कामकाज के लिए संकाय का आवागमन;

(ग) छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनों के लिए संस्थानों की न्यूनतम पात्रता मानदंड की स्वीकृति;

(घ) संयुक्त स्कूलों, अंतर-संस्थागत उपकरणों और कम्प्यूटेशनल सुविधाओं को बढ़ावा देना;

(ङ) अंतर संस्थागत पुस्तकालय संसाधन साझा करना; और

(च) अंतर-संस्थागत पाठ्यक्रम प्रत्यय साझा करना

(4) देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों को अकादमी के लिए छात्रों के प्रतियोगी चयन, अकादमी के लिए ऐसे विश्वविद्यालयों या संस्थानों से छात्रों का प्रव्रजन और इसके विपरीत और पाठ्यक्रम की समतुल्यता के संबंध में अकादमी को समतुल्य माना जाएगा।

(5) (क) अकादमी, देश के राज्य विश्वविद्यालयों और राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों के साथ शैक्षणिक विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाएगी।

(ख) एक राज्य विश्वविद्यालय अकादमी के समतुल्य माना जाएगा, यदि-

(i) ऐसे विश्वविद्यालय में अध्ययन के प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट एक ही राष्ट्रीय स्तर पात्रता मानदंड का पालन करता है और परीक्षा, मूल्यांकन और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्यय पद्धति राष्ट्रीय स्तर के मानकों द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुरूप हैं; और

(ii) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा न्यूनतम तीन स्टार रैंक के साथ मान्यता प्राप्त राज्य विश्वविद्यालयों या वे जिनकी एक विनिर्दिष्ट विषय में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में पहचान की गई है।

(ग) खंड (5) के प्रयोजनों के लिए, अकादमी केंद्रीय विश्वविद्यालयों या संस्थानों की तरह के अध्ययन के सभी प्रासंगिक क्षेत्रों वाले इस तरह के विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ निर्बाध संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगी।

(घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य से सहायता प्राप्त संस्थानों के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा और मामले दर मामले के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ङ) सिनेट, सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर सकेगी, जो सिनेट के अनुमोदन से संबंधों की रूपात्मकता का विनिश्चय और उस विनिश्चय का कार्यान्वयन कर सकेगी।

(6) (क) अकादमी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ शैक्षिक और अनुसंधान संबंधों की स्थापना और बढ़ावा देने का प्रयास करेगी।



(ख) सिनेट, मामले दर मामले के आधार पर, संबंधों का मूल्यांकन करने के लिए निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर सकेगी।

(ग) उप खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, समिति में सहयुक्त निदेशक (शैक्षणिक), सहयुक्त निदेशक (संसाधन विकास और नेटवर्क), संबंधित समूह के संकायाध्यक्ष जिनके अंतर्गत संगठन या प्रयोगशाला आती हो और सिनेट द्वारा नामनिर्देशिती एक सदस्य जो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, सम्मिलित होंगे।

(7) (क) अकादमी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और स्थापनों से निर्बाध संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगी;

(ख) संसाधन विकास और नेटवर्क निदेशालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्थापनों के साथ संबंध, योजनाबद्ध, प्रबंधित और निष्पादित किए जाएंगे।

(ग) बोर्ड, संबंधों को शासित करने के लिए, सिनेट द्वारा बनाई गई अकादमी की व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नीति का अनुमोदन कर सकेगा; और

(घ) अकादमी के लिए नीति बनाते हुए, सिनेट यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य रूप से राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप, नीति होगी।

(8) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ सहयोगकारी अनुसंधान में भाग लेने वाली, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रणाली से भिन्न, अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं या शिक्षा या उद्योग से ली गई श्रेष्ठ प्रतिभाओं को, अकादमी के सहायक संकाय के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकेगी, जो अकादमी में अध्ययन कर रहे छात्रों के सह-गाइड बन सकेंगे।

54. वार्षिक रिपोर्ट – निदेशक, रिपोर्ट के वर्ष के दौरान व्यापक निष्पादन, शैक्षणिक और अनुसंधान की विशेषताएँ, भौतिक और वित्तीय मूल्यांकन या प्रगति और अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सम्मिलित करते हुए, शासी बोर्ड को अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं- 6/1 / सीएसआईआर-एसीएसआईआर / 2012-13 / पीपीडी/एस ]

के.आर. वैधीस्वरन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Scientific and Industrial Research)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6<sup>th</sup> April, 2017

**S.O. 1153(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 of the Academy of Scientific and Innovative Research Act, 2011 (13 of 2012) and in supersession of the Academy of Scientific and Innovative Research Statutes, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Board of Governors hereby makes the following Statutes for the Academy of Scientific and Innovative Research, namely:-

**1. Short title and commencement.**- (1) These Statutes may be called the Academy of Scientific and Innovative Research Statutes, 2017.

(2) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**- In these Statutes, unless the context otherwise requires,-

(a) “Academy” means the Academy of Scientific and Innovative Research established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(b) “Act” means the Academy of Scientific and Innovative Research Act, 2011 (13 of 2012);

(c) “Associate Dean” means Associate Dean of the Academy;

(d) “Associate Director” means Associate Director of the Academy appointed under section 23 of the Act;

- (e) “Board” means the Board of Governors of the Academy of Scientific and Innovative Research constituted under sub-section (1) of section 11 of the Act;
- (f) “Chairperson” means the Chairperson of the Board appointed under section 12 of the Act;
- (g) “Council of Scientific and Industrial Research” means the society registered by the name of the ‘Council of Scientific and Industrial Research’ under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);
- (h) “Dean” means the Dean of the Academy;
- (i) “Director” means the Director of the Academy appointed under section 22 of the Act;
- (j) “estates” means any or all of landed property which is owned or acquired by the Academy either through payment or received as gift and benefaction and which belongs solely to itself but does not include a part of the campus of Council of Scientific and Industrial Research Laboratories; houses or buildings or any premises of Council of Scientific and Industrial Research used by the Academy;
- (k) “faculty of the Academy” means Academy Professors, Professors of Eminence, distinguished professors, outstanding professors, emeritus professors, distinguished emeritus professors, senior professors, professors, associate professors, assistant professors, visiting faculty, adjunct faculty and such other persons as may be appointed for imparting instructions or conducting research in the Academy or institution maintained by the Academy and includes such other scientists of the Council of Scientific and Industrial Research assigned for imparting instructions or conducting research in the Academy;
- (l) “gift” means a contribution, grant, testamentary disposition or otherwise, of movable and immovable properties and monies from a donor that the Academy receives, without making any commitment of resources or services with a commercial value in return, other than naming opportunities and using the gift as the donor may designate in consonance with the objectives of the Academy;
- (m) “Senate” means the Senate of the Academy constituted under section 18 of the Act;
- (n) “Statutes” means the Statutes of the Academy for the time being in force;
- (o) “student” means a person who has-
- (i) enrolled for a degree or diploma programme of the Academy, and has not graduated or withdrawn from candidature or failed to satisfy any continuation requirement for the relevant degree or diploma, or has been expelled as a result of disciplinary proceedings; or
- (ii) registered to study at the Academy but not for a degree or diploma programme such as Finishing School, and has not completed the period of study or withdrawn, or been expelled as a result of disciplinary proceedings;
- (p) “Vice Chairperson” means the Vice Chairperson of the Board of Governors.
- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Board of Governors.-** (1) The Board shall form the apex authority of the Academy.

(2) The composition, method of appointment of Chairperson and nomination of members, term of office of members and powers of the Board shall be in accordance with the provisions of sections 11, 12, 13, 14, 16 and 17 of the Act.

**4. Meetings of the Board.-** (1) The Chairperson shall preside over the meetings of the Board.

(2) The Board may evolve its own procedures for the purpose of conducting its meetings and transacting business therein.

(3) Decision shall be taken in the meeting by consensus, but in the event of a lack of consensus, may resort to voting.

(4) The Board shall meet at least once a year and the Chairperson may convene extraordinary meeting of the Board as many times as he deems fit .

(5) The Secretary to the Board shall serve the notice of the meeting at least seven working days prior to the meeting, along with relevant agenda papers slated for consideration:

Provided that in the case of extraordinary meeting the Chairperson may convene it giving forty eight hours’ notice after recording reasons therefor.

(6) The Secretary shall record the discussion of the meeting in the form of minutes and circulate to the members of the Board after the minutes are duly approved by the Chairperson and the minutes shall be finally adopted in the next meeting of the Board.

(7) One-third of the total number of members of the Board shall constitute the quorum for the meetings of the Board.

(8) The participation for the meeting may be either by physical presence or by electronic communication modes such as skype, video conferencing, teleconferencing or by any other mode.

(9) In case the quorum is not formed when the meeting is called to order, the Chairperson shall adjourn the meeting for thirty minutes and thereafter the meeting may be reconvened with the members present forming the quorum.

(10) A proposal shall be deemed to have been passed if more than fifty per cent of the participating members, excluding the Chairperson, voted in favour of the proposal and in the event of equality of votes, the Chairperson shall have the casting vote.

(11) Any business which may be necessary for the Board to perform except, matters relating to the annual report and accounts of the Academy, be carried out by circulation amongst all its members and any resolution so circulated and approved by a majority of the members signing shall be as effectual and binding as if such resolution had been passed at a meeting of the Board provided that at least one-third of the total strength of the Board have recorded their views on the resolution.

**5. Senate.-** (1) In addition to the members of the Senate as provided in section 18 of the Act, all the Associate Deans of the Academy shall be *ex officio* members of the Senate.

(2) The Assistant Director (Administration and Finance) or in his absence the Senior Manager (Administration) shall function as the non-member Secretary of the Senate.

**6. Powers and Functions of Senate.-** The Senate may, in addition to the powers and functions specified in the Act-

- (a) frame, review and revise curricula and courses offered by the Academy;
- (b) frame guidelines for admission of students, subject to the procedures laid down in the Ordinances;
- (c) maintain standards of instruction, education and examination, evaluate the students and declare results of such examinations subject to the procedures laid down in the Ordinances;
- (d) appoint different committees, as it deems fit, to seek recommendations on academic and administrative affairs of the Academy;
- (e) consider recommendations of the committees and place them before the Board for ratification;
- (f) make periodical review of performance of the Academy;
- (g) prepare annual report of the Academy and any other publications that may be considered relevant for disseminating information on the activities of the Academy;
- (h) utilise the estates of the Academy, residences for staff, hostels for students and provide for inspection of staff, in accordance with the Ordinances;
- (i) organise the faculty into such faculties, departments of teaching, institutes, schools, centres and units and other sub-divisions of studies and learning;
- (j) make recommendations to the Board for expansion, diversification and repositioning of activities and programmes of the Academy;
- (k) make recommendation to the Board for creation of posts and re-designation of existing posts along with suggestions for fixing emoluments for such posts;
- (l) institute and give stipends, scholarships, medals, prizes and confer awards in accordance with the provisions of the Ordinances;
- (m) frame guidelines on various issues such as admission of overseas students; Intellectual property rights of the Academy and other guidelines in accordance with the Statutes and Ordinances;
- (n) resolve any other academic issues; and
- (o) perform such other functions as may be directed by the Board.

- 7. Meetings of Senate.-** (a) The Senate shall meet at least three times in a year;
- (b) The Chairperson of the Senate may convene the meeting either at his own initiative or on signed requisition of at least twenty-five percent of the members of the Senate;
- (c) The Secretary to the Senate shall issue notice of the meeting of the Senate at least five working days in advance for ordinary meeting and three working days in advance for requisitioned meeting;
- (d) The Chairperson of the Senate shall chair the meeting of the Senate;
- (e) When the Chairperson of the Senate is absent, the Associate Director (Academic) shall preside over the meeting;
- (f) One-third of the total members shall constitute the quorum for meeting of the Senate;
- (g) Participation either by physical presence or by electronic communication modes such as skype, video conferencing, teleconferencing or any other mode of communication may be taken into account for determining the quorum;
- (h) In case the quorum is not formed when the meeting is called to order, the Chairperson for the meeting shall adjourn the meeting for thirty minutes and thereafter the meeting may be reconvened with the members present forming the quorum;
- (i) The Secretary to the Senate shall prepare the minutes of the meeting of the Senate and circulate the minutes after the minutes are duly approved by the Chairperson of the Senate;
- (j) Decision taken in the meeting pertaining to faculty of the Academy shall be subsequently placed before the Board for ratification;
- (k) The decision in the meeting shall be taken by consensus and if there is a lack of consensus on any agenda, the Chairperson, Senate may resort to voting to decide the issue by a majority of more than fifty percent of members, excluding himself;
- (l) In the event of equality of votes when voting is resorted to on any agenda, the Chairperson of the meeting shall have the casting vote;
- (m) Any business which may be necessary for the Senate to perform may be carried out by circulation amongst all its members a resolution and any resolution so circulated and approved by a majority of the members agreeing shall be as effectual and binding as if such resolution had been passed at a meeting of the Senate:

Provided that one third of the members of the Senate have recorded their support on the resolution;

- (n) The decision of the Senate and recommendation of the Board shall be in conformity with the Memorandum of Understanding between the Council of Scientific and Industrial Research and the Academy.

**8. Chancellor.-** (1) The Chairperson shall be the Chancellor of the Academy.

- (2) The Chancellor shall preside over the convocation of the Academy and in his absence the Vice-Chairperson shall act as the Chancellor.

**9. The Director-** (1) The President of the Council of Scientific and Industrial Research shall appoint the Director in accordance with the provisions of section 22 of the Act.

- (2) The Director shall be an Indian citizen and the chief academic and executive officer of the Academy who shall be responsible for the administration of the Academy and imparting of instruction, research and maintenance of discipline.

**10. Term of office and removal of Director.-** (1) The term of office of the Director shall be for a period of five years from the date of appointment:

Provided that the President of the Council of Scientific and Industrial Research may extend the tenure of the Director till seventy years on the recommendation by an evaluation committee having at least three members of the search-cum-selection committee for appointment of Director, including the Chairperson and Vice Chairperson.

- (2) The Director may be removed from his office in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 35 of the Act.

(3) In the absence of the Director on account of deputation, transfer, medical or other leave, resignation or any other reason, the senior-most Associate Director shall discharge the duties of the Director till the return of the Director to the office or till the position of Director is filled up by regular appointment.

**11. Powers and duties of Director.-** (1) The Director shall-

- (a) implement the decisions taken by the Board and the Senate other than the ones delegated by Statutes or Ordinances to other functionaries of the Academy;
- (b) subject to the availability of funds in the approved budget, incur expenditure in accordance with the procedures as laid down in the Ordinances and in terms of decisions taken by the Board, Senate and the Finance Committee from time to time;
- (c) have the power to re-appropriate funds to the extent as approved by the Finance Committee;
- (d) have the power, subject to concurrence of the Finance Committee and ratification of the Senate and Board, to waive off loans, recoveries and irrevocable losses, to the extent that be fixed by the Board;
- (e) make all appointments to the Academy, constitute selection committees for such appointments, recommend initial pay for the incumbents and decide on the level of appointment to be offered with the approval of the authority as appropriate;
- (f) have the power to fix the eligibility criteria and standards for assessment or evaluation for admissions to the Academy and approve all such admissions;
- (g) fix the rents and fees for buildings, hostels, guest houses and other infrastructure of the Academy, subject to the recommendation of the Finance Committee and approval by the Senate;
- (h) submit the annual report and the annual accounts of the Academy to the Board;
- (i) create temporary posts in the Academy and induct suitable individuals in the said posts on contractual basis on the recommendation of the Senate and ratification by the Board;
- (j) have the power to outsource any academic duties and functions with the approval of the Senate and ratification of the Board;
- (k) sign all agreements, contracts and Memorandum of Understandings on behalf of the Academy;
- (l) have the power to grant sabbaticals to members of the academic staff of the Academy and send the staff of the Academy for training and personal development, if required;
- (m) have the power for constituting committees, task force and working group for advising and advancing the mandate of the Academy in specific areas;
- (n) perform such other duties as may be specified in the Statutes, or provided by the Ordinances or by notifications from time to time by the Board.

(2) The Director may delegate his powers to other suitable officers of the Academy with the approval of the Chairperson.

**12. Compensation for Director.-** The selection committee may recommend compensation for the position of a Director commensurate with the eminence of the person and shall have both fixed and performance based variable component which shall be ratified by the Board.

**13. The Associate Directors.-** (1) There shall be five Associate Directors, namely, Associate Director (Academic), Associate Director (Administration and Finance), Associate Director (Student Affairs), Associate Director (Resource Development and Network) and Associate Director (Institute Affairs and Information and Communications Technology Infrastructure).

(2) The Board may assign any other designation for the Associate Directors, for the purpose of administrative convenience or academic efficiency of the Academy.

**14. Appointment of Associate Directors.-** (1) The Director may appoint Associate Directors with the approval of the Chairperson, from among the Professors of the Academy or scientists from Council of Scientific and Industrial Research engaged in academic activity of the Academy.

(2) There shall be a selection committee for selection of Associate Directors which shall consist of-

- (i) Vice Chairperson of the Board – Chairman;
- (ii) Director – Member;

(iii) One member of the Board, nominated by the Vice Chairperson from among the members of the Board – Member;

(iv) Three experts, out of whom at least two shall be not related to the Council of Scientific and Industrial Research nominated by the Vice Chairperson on the recommendation of the Director;

(3) The selection committee shall seek the candidates for the post of Associate Directors from the members of the Board, Directors of laboratories of Council of Scientific and Industrial Research and distinguished scientists of Council of Scientific and Industrial Research.

(4) For the purpose of clause (1), the selection committee shall follow such procedures as it deems fit.

(5) The Director shall submit to the Chairperson for his approval the recommendation of the selection committee for appointment of Associate Directors.

**15. Term of office of Associate Directors.**— (1) The term of the office of the Associate Director shall be initially for a period of three years, or five years, from the date of appointment or till the age of sixty five years, as decided by the Board on the recommendation of the selection committee:

Provided that the Board may for the reasons to be recorded in writing, extend the tenure of the Associate Director on the basis of his performance.

**16. Removal of Associate Directors.**— The Board may remove an Associate Director from office by giving three months notice or salary in lieu of three months notice:

Provided that no Associate Director shall be removed from office by the Board unless a resolution, moved by the Director in that behalf is approved by two-thirds majority of the Senate and the Board.

**17. Duties and powers of Associate Directors.**— The Associate Director shall assist the Director in discharging academic, administrative, financial, operational and other functions consistent with the designation and carry out responsibilities as may be assigned to him by the Director or the Board.

**18. Compensation for Associate Directors.**— The Director shall fix the compensation for the position of Associate Director of the Academy on the recommendation of the search-cum-selection committee commensurate with the eminence and proven potential competence of the candidate and shall have both fixed and a performance based variable component as notified by the Board from time to time.

**19. The Deans.**— (1) The Director may appoint the Deans in consultation with the Associate Director (Academic), with the approval of the Chairperson:

Provided that the Chairperson shall not grant approval without recommendation of the Senate and consultation with the Vice Chairperson.

(2) The Deans shall be appointed from among the scientists of Council of Scientific and Industrial Research engaged in academic activities who are part of faculty of the Academy and have eminent scientific standing with national and international recognition.

(3) The Deans shall assist the Academy in discharging its academic functions.

(4) There shall be one Dean each for Biological Science, Chemical Science, Engineering Science, Mathematical and Information Science and Physical Science.

(5) The term of office of a Dean shall be for a period of three years from the date of appointment, extendable by another term of three years or such lesser period as the Board may deem fit on the recommendation of the Senate.

(6) The Board may remove a Dean from office by two-thirds majority on a resolution moved by the Director which shall be approved by two-thirds majority of the members of the Senate.

**20. Powers and functions of Deans.**— (1) A Dean shall be in charge of the respective cluster for which he has been appointed and shall assist the Director and the Associate Director (Academic) in discharging the academic functions of the Academy.

(2) A Dean may be assigned any other function as may be considered necessary by the Director or Associate Director (Academic).

**21. Professional Fee for Deans of the Academy.**— The Board may approve the professional fee fixed by the Director on the recommendation of the Associate Director (Academic) .

**22. Associate Deans.**— (1) The Director may appoint the Associate Deans in consultation with the Associate Director (Academic) and with the approval of the Chairperson:

Provided that the Chairperson shall not grant approval without recommendation of the Senate and consultation with the Vice Chairperson.

(2) The Associate Deans shall be appointed from among scientists of Council of Scientific and Industrial Research engaged in academic activities to assist the Academy in discharging its academic functions.

(3) There shall be one Associate Dean each for Biological Science, Chemical Science, Engineering Science, Mathematical and Information Science and Physical Science.

(4) The term of office of an Associate Dean shall be for a period of three years from the date of his appointment:

Provided that the Board may, on the recommendation of the Senate, extend the term for another three years for the reasons to be recorded in writing.

(5) The Board may remove an Associate Dean from his office if his services are not found satisfactory or for any other reason to be recorded in writing by the Director on the recommendation of the concerned Dean and Associate Director (Academic).

**23. Powers and functions of the Associate Deans.**— (1) An Associate Dean shall be in-charge of the respective cluster for which he has been appointed and shall assist the Associate Director (Academic) and the Dean of the corresponding cluster in discharging academic activities of the Academy.

(2) The Associate Director (Academic) and the Dean of the concerned cluster may assign, as they may deem fit, other functions to the Associate Deans.

**24. Professional Fee for Associate Deans of the Academy.**— The Board may approve the professional fee for Associate Deans fixed by the Director:

Provided that the Director shall not fix the professional fee except on the recommendation of the Associate Director (Academic).

**25. Appointment of Coordinators for different Laboratories.**— The Chairperson, Senate may appoint coordinators for different laboratories on the recommendation of the Directors of the laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research and the appointment shall be ratified in the next Senate meeting.

**26. Professional Fee for Coordinators of Laboratory of the Academy.**— The Board may fix professional fee for coordinator on the recommendation of the Associate Director (Academic).

**27. Executive Officers and Advisors.**— (1) (a) The executive officers of the Academy shall include such officers who are considered to be essential for smooth running of the Academy.

(b) The officers comprise, but are not restricted to, posts such as those of Assistant Director (Administrative and Finance), Senior Manager (Administration), Manager and Technical officers, librarian or equivalent, system administrator, engineer, media officer, public relations officer, law officer and other officers as the Academy may deem fit.

(2) The Director may appoint employees and advisors, on contractual basis under a written contract in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 33 of the Act.

(3) (a) Subject to the provisions of the Statutes, selection process for permanent members of the faculty and other employees, as applicable, shall be completed within forty-five days of publication of advertisement or nomination or invitation, as the case may be.

(b) The selection of a candidate, once completed, shall be valid for three months, subject to such extension as may be deemed necessary by the Senate, in the case of acceptance by the candidate.

(4) The Academy shall make appointments by giving wide publicity in national dailies and by notification on the notice board of the Academy and laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research.

(5) (a) A selection committee of the Academy consisting of the following persons-

(i) an Associate Director or his nominee of the rank of Professor of the Academy as Chairperson;

(ii) one officer of the Academy not below the rank of Associate Professor;

(iii) two coordinators of laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research, or one coordinator and one scientist of the laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research as nominated by the Chairman of the Committee,

may select the Executive Assistants and Executive Consultants for appointment on contract basis.

(b) The selection committee may make selection from a panel of candidates who have applied for the posts on the basis of their qualifications and experience.

- (6) (a) The Academy may notify from time to time details of the essential qualification, tenure, remuneration and function of the different administrative positions.
- (b) The Academy shall have flexible compensation system which recognises performance to bring the best talent to the Academy.
- (2) (a) For recruitment of the employees of the Academy, adequate provision shall be made for reservation of posts for backward communities and physically handicapped candidates, in accordance with the orders or instructions issued by the Government and Council of Scientific and Industrial Research from time to time.
- (b) The recruitment process shall be transparent and the same shall be updated regularly and be made available on the website of the Academy.
- (c) The qualifications for each post provided shall be redefined wherever necessary, keeping in view the requirements of the Academy and availability of personnel with better academic qualification and technical competence.
- (d) The remuneration for any administrative staff which requires concurrence by the Finance Committee and ratification by the Director shall be as modified by the Academy from time to time.
- (e) The Board, if necessary, may introduce scales of pay at a level higher than those existing, to attract suitable talents to be appointed to such positions, which shall, be on a case to case basis and shall not be a precedent.
- (f) The Senate and the Board may decide upon the proportion of employees to occupy permanent, temporary, deputation and contractual appointments in the Academy.
- (g) (i) All the employees of the Academy shall be entitled for family health coverage;  
(ii) All the employees, permanent or temporary, of the Academy shall be entitled for leave in accordance with rules notified from time to time.
- (7) (a) The extension of appointment of non-academic executive officers and advisors shall be made on a case to case basis by the Director on the recommendation of the Associate Director (Administration and Finance);
- (b) The Chairperson shall do the annual performance appraisal of the Associate Director and the Director.
- (8) (a) All employees of the Academy, on completion of their period of contract or an extended period of contract, as the case may be, shall be eligible for terminal benefits such as leave encashment, gratuity and other benefits, as recommended by the Chairperson, Senate to the Board.
- (b) The criteria for the terminal benefits shall be fixed by a sub-committee which shall include the members from the Finance Committee as constituted by the Chairperson, Senate.
- (9) The Director may outsource the non-academic duties and functions for such period, in such areas and at such levels of staff as he deems fit.

**28. Conduct of Business of Executive Authorities of the Academy.**— (1) The executive authorities and executive officers of the Academy shall perform the duties in a manner so as to achieve a highly efficient level of functioning of the Academy.

(2) For the purposes of clause (1), the Academy shall function in unison in all matters.

(3) For the purposes of carrying out the business of the executive authorities, an apex committee shall be formed and chaired by the Director having all Associate Directors as members for formulating general policy guidelines.

**29. Functions or business of the Academy.**— (1) The functions that require to be undertaken under the direct supervision of each of the Associate Directors shall be constituted into Directorates, while the others may be delegated to suitable officers which shall be formed as offices.

(2) Unless otherwise expressly provided, there shall be the following Directorates to discharge the business of the Academy, namely:-

- (a) Directorate of Academic Affairs;
- (b) Directorate of Student Affairs;
- (c) Directorate of Resource Development and Networking;



- (d) Directorate of Institute Affairs and Information and Communications Technology, e-Learning and Distance Education; and
- (e) Directorate of Administration and Financial Support
- (a) **Directorate of Academic Affairs.**— (i) The Directorate of Academic Affairs shall function under the direct supervision of the Associate Director (Academic).
- (ii) In the direct supervision by the Associate Director (Academic), the Deans and Associate Deans shall assist the Associate Director (Academic).
- (iii) The Directorate of Academic Affairs shall-
- (a) assist the Board, Senate and Boards of Studies in framing course modules, syllabi and other matters connected thereto;
- (b) look into all the matters related to credit system and evaluation;
- (c) oversee examination with respect to its conduct, declaration of results, re-examination or re-evaluation;
- (d) constitute and legitimise Doctoral Committees;
- (e) undertake quality assurance exercises; and
- (f) perform such other functions as may be directed by the Boards of Studies and Senate.
- (b) **Directorate of Student Affairs.**— (i) The Directorate of Student Affairs shall function under the direct supervision of the Associate Director (Student Affairs).
- (ii) In the direct supervision by the Associate Director (Student Affairs), the Deans and Associate Deans shall assist the Associate Director (Student Affairs).
- (iii) The Directorate of Student Affairs shall -
- (a) oversee all aspects of admission processes and frame admission modalities from time to time;
- (b) frame modalities and oversee student registration process for various courses of study;
- (c) constitute the Admission Committee;
- (d) deal with all disputes and grievances of students;
- (e) obtain regular feedback from students, staff and stake holders and to take such action for improvements in respect thereof;
- (f) provide necessary inputs to Directorate of Networking and Resource in matters related to framing and implementation of overseas students policy; and
- (g) perform such other functions as may be directed by the Boards of Studies and Senate.
- (c) **Directorate of Resource Development and Networking.**— (i) The Directorate of Resource Development and Network shall function under the direct supervision of the Associate Director (Resource Development and Networking).
- (ii) In the direct supervision by the Associate Director (Resource Development and Networking), the Deans and Associate Deans shall assist the Associate Director (Resource Development and Networking).
- (iii) The Directorate of Resource Development and Networking shall-
- (a) undertake comprehensive planning activity for growth and development of the Academy, both nationally and internationally;
- (b) prepare strategy for interaction with industry and raising funds from industries, philanthropic organisation and individuals;
- (c) raise funds for sponsored chairs, fellowships and other matters and project funding from Government and other sources;
- (d) frame and implement overseas students policy in consultation with the Directorate of Student Affairs and issue guidelines in this regard;
- (e) foster international collaboration in education and research activities for the Academy;
- (f) institute overseas training fellowships and scholarships under the Academy;

- (g) publish regular impact documents, strategy papers and status reports for international scenarios relevant to the areas of work of the Academy;
- (h) promote, nurture and sustain innovation in the activities of the Academy through development and implementation of innovation strategy, concepts, processes and methods;
- (i) facilitate technological and academic entrepreneurship amongst faculty, students and other associates of the Academy;
- (j) inculcate culture of inverted innovation and nurture appropriate ecosystem in the Academy in association with other stakeholders or players of academia and Research and Development sector;
- (k) catalyse application of innovative processes and technologies to the social sector;
- (l) identify new and unique revenue generation mechanisms;
- (m) perform such other functions as may be directed by the Boards of Studies and Senate.

**(d) Directorate of Information and Communications Technology Infrastructure, e-Learning and Distance Education.**— (i) The Directorate of Information and Communications Technology Infrastructure, e-Learning and Distance Education shall be consortium-led and shall function under the direct supervision of the Associate Director (Institute Affairs and Information and Communications Technology Infrastructure).

- (ii) The Directorate of Information and Communication Technology, Infrastructure e-Learning and Distance Education shall-
  - (a) frame E-learning and distance education policy for the Academy;
  - (b) undertake content development;
  - (c) undertake and evolve a suitable content delivery platform;
  - (d) assure the quality of courses being offered;
  - (e) frame guidelines for students to be enrolled under distance programmes and issue such guidelines to the Directorate of Student Affairs;
  - (f) liaise and coordinate with the Distance Education Council;
  - (g) serve as the Corporate Communications Unit of the Academy;
  - (h) frame the information and communication technology policy for the Academy;
  - (i) be the custodian of the Information and Communication Technology infrastructure;
  - (j) maintain the Academy home page or website, databases and other matters connected thereto; and
  - (k) perform such other functions as may be directed by the Board of Studies and the Senate.

**(e) Directorate of Administration and Financial Support.**— (i) The Directorate of Administration and Financial Support shall function under the direct supervision of the Associate Director (Administration and Finance).

(ii) In the direct supervision by the Associate Director (Administration and Finance), the Deans, Associate Deans and the Finance Committee shall assist the Associate Director (Administration and Finance).

(iii) The Directorate of Administration and Financial Support shall-

- (a) provide all the administrative, legal and financial support to all the four Directorates;
- (b) coordinate the activities related to the Memorandum of Understandings of the Academy with national and international centres of learning and research;
- (c) prepare the annual budget for the Academy;
- (d) monitor the expenditure as per the revenue generation and budget of the Academy;
- (e) perform such other functions as may be directed by the Boards of Studies and Senate.

**30. Board of Studies.**— (1) The Board of Studies shall assist the Senate for operating the academic programmes of the Academy.

(2) The Senate may create or do away with such Boards of Studies, with the approval of the Board.

- (3) Unless otherwise expressly provided there shall be the following three Boards of Studies, namely:-
- (a) Board of Studies for Biological and Chemical Sciences;
  - (b) Board of Studies for Engineering and Physical Sciences;
  - (c) Board of Studies for Information Science Cluster and Humanities, Social Science, Law and Management.
- (4) The Senate may conduct interdisciplinary and trans-disciplinary programmes across the three Board of Studies, namely, Nano-Bio-Information Technology programmes.
- (5) Subject to the requirements of academic programmes of the Academy, the Senate, with due ratification of the Board, may constitute other Boards of Studies.
- (6) The Chairperson of the Senate may nominate the members of the Board of Studies in consultation with the Associate Director (Academic) with the approval of the Senate.

**31. Constitution of Boards of Studies.-** (a) There shall be a Board of Studies for Biological and Chemical Sciences Cluster which shall consist of-

- (i) Associate Director (Academic) who shall be the Chairperson of the Board of Studies for Biological and Chemical Sciences Cluster;
- (ii) two Deans of the Biological and Chemical Sciences Cluster, one of whom shall be the Co-chairperson on rotation basis, for each successive meetings;
- (iii) two members from the Senate, representing two clusters;
- (iv) two scientists, one from each cluster other than those nominated in the Board or the Senate;
- (v) two external experts, preferably members of the Research Council of the corresponding cluster laboratories or Industries, other than those nominated in the Board or the Senate; and
- (vi) one of the Associate Deans of the corresponding clusters shall be the Member Secretary.

(b) There shall be a Board of Studies in Engineering and Physical Sciences Cluster which shall consist of-

- (i) Associate Director (Academic) who shall be the Chairperson of the Board of Studies in Engineering and Physical Sciences Cluster;
- (ii) two Deans of Engineering and Physical Sciences, one of whom shall be the Co-chairperson on rotation basis, for each successive meetings;
- (iii) two members from the Senate from Engineering and Physical Sciences laboratories;
- (iv) two scientists from Engineering and Physical Sciences laboratories, other than those nominated in the Board or the Senate;
- (v) two external experts, preferably members of the Research Council of the corresponding cluster laboratories or industries, other than those nominated in the Board or the Senate; and
- (vi) one of the Associate Deans of the corresponding clusters shall be the Member Secretary.

(c) There shall be a Board of Studies for Information Science Cluster and Interdisciplinary Studies for Law, Humanities and Management Sciences which shall consist of-

- (i) Associate Director (Academic) who shall be the Chairperson of the Board of Studies for Information Science Cluster and Interdisciplinary Studies for Law, Humanities and Management Sciences;
- (ii) the Dean of information Sciences Cluster to act as the Co-chairperson;
- (iii) two members from the Senate from corresponding areas of study;
- (iv) two scientists from the cluster laboratories or divisions other than those nominated in the Board or the Senate;
- (v) two external experts, preferably members of the Research Council of the corresponding cluster laboratories or Industries, other than those nominated in the Board or the Senate; and
- (vi) Associate Dean of the corresponding cluster shall be the Member Secretary.

**32. Powers and Functions of the Board of Studies.**— (1) The Boards of Studies shall have the following powers and functions, namely:—

- (a) to recommend the Senate the courses of studies and curriculum to be introduced and followed;
- (b) to recommend the Senate on the creation and institution of professorships and other adjunct faculty positions in the Academy; subject to provisions in this regard in the Ordinances;
- (c) to make recommendations on inclusion and establishment of new learning centres and learning outreach centres under the Academy;
- (d) to set up special committees and task forces for promotion of research, teaching, curriculum development, and other matters connected thereto;
- (e) to make proposals to the Senate regarding provisions to be made for enabling the Academy to undertake specialised study programmes in inter-disciplinary and trans-disciplinary areas and to evolve mutual resource-sharing protocols with other institutions of higher learning and universities in India and abroad;
- (f) to supervise the examinations and award of degrees;
- (g) to supervise quality assurance in the teaching programmes being offered by the Academy;
- (h) to make contractual and other extraordinary engagement or retainership as may be required for furtherance of the mandate of the Academy subject to the approval of the Senate and ratification by the Board for a period not exceeding one year and subject to the provisions of the Ordinances;
- (i) to frame general rules for the evaluation of sessional work;
- (j) to consider schemes for the improvement of the standards of teaching and research, and to submit such proposals to the Senate for approval;
- (k) to frame the general time-table of the Academy;
- (l) to perform all other functions which may be provided in the Ordinances, and to consider all such matters as may be referred to it; and
- (m) to delegate to the Dean or any other member of the Board of Studies or to a committee as he deems fit such general or specific powers as may be decided upon by the Board of Studies from time to time.

**33. Meetings of the Boards of Studies.**— (1) The meeting of each of the Board of Studies shall either be ordinary or special.

(2) The Associate Director (Academic) and the concerned Dean shall hold ordinary meeting twice a year.

(3) The Associate Director (Academic) or the concerned Dean at his own initiative may call special meeting or shall be called at the suggestion of the Chancellor of the Academy or on a written request from at least one-fifth of the members of the Board of Studies.

(4) The Dean of the respective subject may take decision on the matter of approval of reviewers of thesis or change of subject, title or guide or other such activities which shall be ratified by the Board of Studies.

(5) The meeting may be held in physical presence or by using various secure communication modes such as skype, video conferencing, teleconference and other modes of communication.

**34. Term of Boards of Studies and its dissolution.**— (1) A Board of Study shall have a term of three years and shall be reconstituted after completion of its term.

(2) The Board may dissolve one or all of the Boards of Studies on recommendation of the Senate, provided a motion for such dissolution is moved before a Senate meeting and is passed by simple majority in the meeting.

**35. Notice of Meeting.**— (1) The notice for a meeting of the Board of Studies, other than a special meeting, shall be issued at least seven days before the day fixed for the meeting:

Provided that a special meeting may be fixed with at least five days' notice.

(2) A calendar of events shall be prepared at the beginning of the academic year for holding the meetings.

**36. Procedures for conducting meeting.**— (1) The Chairperson of the relevant Board of Studies may decide the procedures for conducting the meeting of the Board of Studies.

(2) The participation of at least one-third of the members including two Deans or Associate Deans either by physical presence or by using various secure communication modes such as skype, video conferencing, teleconference and other modes of communication to form the quorum:

Provided that the quorum for the meeting of the Board of Studies for Information Science Cluster shall consist of either the Dean or the Associate Dean of the Information Science Cluster.

**37. The Finance Committee.**— (1) There shall be a Finance Committee to consider and make recommendation to the Senate in respect of all financial matters.

(2) The Finance Committee shall consist of the following members, namely:-

- (a) the Director of the Academy, who shall be the Chairperson of the Committee;
- (b) the Associate Director (Administration and Finance)- Member;
- (c) the Associate Director (Resource Development and Network)- Member;
- (d) one Financial expert nominated by the Chairperson- Member;
- (e) one member of the Senate nominated by Chairperson of the Senate- Member; and
- (f) the Assistant Director (Administration and Finance) or in his absence Senior Manager (Administration) shall be the Secretary.

**38. Powers and Functions of the Finance Committee.**— (1) The Finance Committee shall-

- (a) formulate the financial plans and prepare the budget of the Academy for the forthcoming financial year;
- (b) make recommendation to the Board on all proposals of demands for grants and monies, which shall stand referred to the Finance Committee for deliberation prior to placing the same before the Board;
- (c) recommend on any particular initiative of the Academy that has financial implication;
- (d) maintain proper and separate accounts of the Academy in full detail and audit within six months of the end of each financial year;
- (e) perform such other financial functions as may be directed by the Board and the Senate.

**39. Terms of nominated members of the Finance Committee.**- The nominated members of the Finance Committee shall be its members for the period specified at the time of nomination or till a fresh nomination is made, whichever is earlier.

**40. Quorum for meetings of the Finance Committee.**— (1) There shall be participation of at least three members to form the quorum for the meeting of the Finance Committee, of whom one shall be a financial expert.

(2) The participation for the meeting may either by physical presence or by using various secure communication modes such as skype, video conferencing, teleconference and other modes of communication to form the quorum.

**41. Entitlement for members of the Board, Senate, Board of Studies and other sub-committees.**- The members attending the meeting, in person or by electronic communication modes such as skype, video conferencing, teleconferencing or by any other mode, of the Board, Senate, Board of Studies and other sub-committees constituted from time to time shall be entitled for the following, namely:-

- (i) honorarium or sitting fee in accordance with the notification issued by the Academy from time to time;
- (ii) reimbursement of expenditure incurred on travel for attending the meeting; and
- (iii) arrangement for stay or in lieu thereof, reimbursement of reasonable expenditure incurred towards lodging in connection with attending the meeting.

**42. Research Institutes, Laboratories, Centres and Units.**— (1) The institutes or laboratories or centres or constituent units of the Council of Scientific and Industrial Research specified in column (2) of the Table below, shall be the research institutes or laboratories or centres or constituent units of the Academy and the website addresses of the institutes or laboratories or centres or constituent units of the Council of Scientific and Industrial Research shall be as specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Name of the CSIR Laboratory/Centres/Units	<a href="http://www.">http://www.</a>
(1)	(2)	(3)
1.	CSIR-Advanced Materials and Processes Research institute (CSIR-AMPRI), Bhopal	ampri.res.in
2.	CSIR-Central Building Research Institute (CSIR-CBRI), Roorkee	cbri.org.in
3.	CSIR-Centre for Cellular and Molecular Biology (CSIR-CCMB), Hyderabad	ccmb.res.in
4.	CSIR-Central Drug Research Institute (CSIR-CDRI), Lucknow	cdri.res.in
5.	CSIR-Central Electrochemical Research Institute (CSIR-CECRI), Karaikudi	cecri.res.in
6.	CSIR-Central Electronics Engineering Research Institute (CSIR-CEERI), Pilani	ceeri.res.in
7.	CSIR-Central Food Technological Research Institute (CSIR-CFTRI), Mysore	cftri.com
8.	CSIR-Central Glass and Ceramic Research Institute (CSIR-CGCRI), Kolkata	cgcri.res.in
9.	CSIR-Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants (CSIR-CIMAP), Lucknow	cimap.res.in
10.	CSIR-Central Institute of Mining and Fuel Research (CSIR-CIMFR), Dhanbad	cimfr.nic.in
11.	CSIR-Central Leather Research Institute (CSIR-CLRI), Chennai	clri.nic.in
12.	CSIR-Central Mechanical Engineering Research Institute (CSIR-CMERI), Durgapur	cmeri.res.in
13.	CSIR-Fourth Paradigm Institute (CSIR-4PI), Bangalore (formerly, CSIR-Centre for Mathematical Modelling and Computer Simulation)	cmmacs.ernet.in
14.	CSIR-Central Road Research Institute (CSIR-CRRI), New Delhi	crri.dom.gov.in
15.	CSIR-Central Scientific Instruments Organisation (CSIR-CSIO), Chandigarh	csio.res.in
16.	CSIR-Central Salt and Marine Chemicals Research Institute (CSIR-CSMCRI), Bhavnagar	csmcri.org
17.	CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology (CSIR-IGIB), New Delhi	igib.res.in
18.	CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology (CSIR-IHBT), Palampur	ihbt.res.in
19.	CSIR-Indian Institute of Chemical Biology (CSIR-IICB), Kolkata	iicb.res.in
20.	CSIR-Indian Institute of Chemical Technology (CSIR-IICT), Hyderabad	iiictindia.org
21.	CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine (CSIR-IIIM), Jammu	iiim.res.in
22.	CSIR-Indian Institute of Petroleum (CSIR-IIP), Dehradun	iip.res.in

23.	CSIR-Indian Institute of Toxicology Research (CSIR-IITR), Lucknow	iitrindia.org
24.	CSIR-Institute of Minerals and Materials Technology (CSIR-IMMT), Bhubaneswar	immt.res.in
25.	CSIR-Institute of Microbial Technology (CSIR-IMT), Chandigarh	imtech.res.in
26.	CSIR-National Aerospace Laboratories (CSIR-NAL), Bangalore	nal.res.in
27.	CSIR-National Botanical Research Institute (CSIR-NBRI), Lucknow	nbri.res.in
28.	CSIR-National Chemical Laboratory (CSIR-NCL), Pune	ncl-india.org
29.	CSIR-National Environmental Engineering Research Institute (CSIR-NEERI), Nagpur	neeri.res.in
30.	CSIR-North East Institute of Science and Technology (CSIR-NEIST), Jorhat	neist.res.in
31.	CSIR-National Geophysical Research Institute (CSIR-NGRI), Hyderabad	ngri.org.in
32.	CSIR-National Institute for Interdisciplinary Science and Technology (CSIR-NIIST), Thiruvananthapuram	niist.res.in
33.	CSIR-National Institute of Oceanography (CSIR-NIO), Goa	nio.org
34.	CSIR-National Institute of Science Communication and Information Research (CSIR-NISCAIR), New Delhi	niscair.res.in
35.	CSIR-National Institute of Science, Technology and Development Studies (CSIR-NISTADS), New Delhi	nistads.res.in
36.	CSIR-National Metallurgical Laboratory (CSIR-NML), Jamshedpur	nmlindia.org
37.	CSIR-National Physical Laboratory (CSIR-NPL), New Delhi	nplindia.org
38.	CSIR-Structural Engineering Research Centre (CSIR-SERC), Chennai	serc.res.in
39.	CSIR-Unit for Research and Development of Information Products (CSIR-URDIP), Pune	urdip.res.in
40.	CSIR Headquarters and its other units	csir.res.in
41.	CSIR-Human Resource Development Centre (CSIR-HRDC)	csirhrdc.res.in
42.	CSIR-Traditional Knowledge Digital Library (CSIR-TKDL)	tkdl.res.in

(2) The resource and infrastructure of the institutes or laboratories or centres or constituent units of the Council of Scientific and Industrial Research shall be available to the Academy as per the Memorandum of Understanding between Academy of Scientific and Industrial Research and the Council of Scientific and Industrial Research.

Note.- If a laboratory or unit of the Council of Scientific and Industrial Research is created in future, it shall be deemed to be a research institute and in case any laboratory is merged or closed by the Governing Body of the Council of Scientific and Industrial Research, then the corresponding laboratory or centre or unit shall cease to be research institute or centres or unit of the Academy.

**43. Faculty positions of the Academy.-** (1) The Scientists of the Council of Scientific and Industrial Research Laboratories and its constituent units selected for the purpose shall have the dual role of being faculty of the Academy and Scientists of Council of Scientific and Industrial Research.

(2) The Scientists shall bear the designations of the faculty based on such criteria as the Council of Scientific and Industrial Research deems fit for its scientists of different grades.

(3) The selection of the scientists shall be based on the guidelines of the faculty as approved by the Senate.

(4) The Director General of the Council of Scientific and Industrial Research shall forward, the list of faculty members drawn from among the Scientists of Council of Scientific and Industrial Research, including eminent scientists and emeritus scientists, to the Senate for its approval.

(5) The Director General of the Council of Scientific and Industrial Research may make any subsequent change in the list of faculty of the Academy drawn from Council of Scientific and Industrial Research.

(6) All the positions of the faculty drawn from among the Council of Scientific and Industrial Research shall be honorary and are co-terminous with their superannuation or discontinuation of service from the Council of Scientific and Industrial Research:

Provided that the services of the faculty members may be availed beyond superannuation as distinguished emeritus professor or professor of eminence or as a sponsored chair professorship with remuneration commensurate with the positions which they hold with the approval of the Board.

(7) The Senate shall update the list of faculty from time to time following the assessment and appointment of Scientists of Council of Scientific and Industrial Research.

(8) The Academy may induct the superannuated scientists of Council of Scientific and Industrial Research as faculty members of the Academy with appropriate designation on the recommendation of the Director.

(9) The Board may honour and confer on eminent scientists, personalities, academicians and other personalities who may not necessarily be citizens of India, with the higher title of "Academy Professor".

(10) The Academy Professorships may be offered to only eminent individuals with most exceptional academic contributions and extraordinary scholarly work.

(11) The Director General of Council of Scientific and Industrial Research and other renowned scientists of equivalent eminence shall be honoured, on the recommendation of the Senate and the Board, as a professor of eminence of the Academy;

(12) The Board may appoint such number of employees as it considers necessary for the efficient functioning of the Academy.

**44. Recruitment of academic staff other than Director, Associate Directors, Deans and Associate Deans.**— (1) The direct recruitment for the academic posts in the Academy, shall be filled up by direct recruitment, after due advertisement.

(2) The Academy may consider positions of adjunct and visiting faculty from other reputed academic institutions from India or abroad.

(3) The qualification and eligibility criteria for being recruited as faculty and the designation to be given to the appointees shall be determined by the Board from time to time.

**45. Honorary academic positions for Council of Scientific and Industrial Research scientists in the Academy.**— The honorary academic positions for the Council of Scientific and Industrial Research Scientists specified in column (2) of the Table below shall be designated in the Academy as specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Position in the Council of Scientific and Industrial Research	Designation in the Academy of Scientific and Innovative Research
(1)	(2)	(3)
	Scientist	Assistant Professor
	Senior Scientist	
	Principal Scientist	Associate Professor
	Senior Principal Scientist	Professor



	Chief Scientist	
	Director/ Outstanding Scientist	Outstanding Professor
	Distinguished Scientist	Distinguished Professor
	CSIR Emeritus Scientist	Emeritus Professor
	Director General (Full time)	Professor of Eminence

Note.- The designations given are as per the guidelines of the faculty of Academy of Scientific and Innovative Research

**46. Other academic positions.-** The other academic positions in the Academy, and their eligibility and nature of engagement shall be specified in column (2), column (3) and column (4), respectively, of the Table below:-

TABLE

Sl. No.	Position in the Academy	Eligibility	Nature of Engagement
(1)	(2)	(3)	(4)
	Adjunct Faculty (Professor, Associate Professor, Assistant Professor) (Three year term, renewable)	Academicians from other Institutes, Industry and International Institutes/Units participating in collaborative research with Council of Scientific and Industrial Research	Honorary
	Emeritus Professor (Three year term, renewable)	Eminent academicians superannuated/retired from regular positions	The remuneration may be fixed by notification from time to time
	Distinguished Emeritus Professor (Three year term, renewable)	Directors/ Outstanding/ Distinguished Scientists of Council of Scientific and Industrial Research beyond superannuation	The remuneration may be fixed by notification from time to time
	Professor of Eminence	Academicians/Scientists of equivalent eminence to Director General, Council of Scientific and Industrial Research	Honorary
	Academy Professor (Lifetime position)	Academicians/Scientists of highest national and international eminence	Honorary

**47. Delegation of powers of appointment.-** (a) The Board may delegate to the Senate the power to appoint Honorary Professors and confer the title of Emeritus Professor upon any professor who has retired or superannuated from the service of Council of Scientific and Industrial Research.

(b) An Honorary or Emeritus Professor shall not, *ex officio*, be a member of the Senate or the Board.

**48. Conferment of Degrees and Diplomas.-** (1) The degrees conferred by the Academy include, but not limited to, the following, namely:-

(i) M.Tech;

(ii) Ph.D in Science, Engineering and Social Science and Humanities;

- (iii) Integrated M.Tech - Ph.D in Engineering;
  - (iv) Integrated Ph.D in Science or Engineering;
  - (v) Integrated M.Sc - Ph.D in Science;
  - (vi) M.S by Research in Science and Engineering;
  - (vii) Honors Dual Degree;
  - (viii) Post Graduate Diploma in Finishing School (One/Two year Post Graduate diploma); and
  - (ix) Diploma in areas offering new knowledge (Short term diploma)
- (2) The conferment of degrees and diplomas shall be decided by the Senate.

**49. Fees for the programme.**— (1) The Senate shall specify the fees for the different programmes offered by the Academy from time to time.

(2) The fees for the programmes of the Academy shall be such that it shall not deter the weaker section of the society to have an access to new knowledge.

(3) The Academy shall make provisions for the institution of fellowships to provide support to attract motivated brilliant students from the economically weaker section of the society.

(4) The fees shall be comparable with Government supported technical and professional institutes.

(5) The Senate shall decide the methodology of collection of fees from time to time.

**50. Late Fee.**— The Senate shall charge late fees for cases of delayed payment of fees and the details of late fee or fine and other related issues shall be in accordance with the provisions of these Statutes.

**51. Institution of Awards, Fellowships, Scholarships, etc.**— (1) The Senate shall administer all gifts, benefactions and awards related to the Academy through a Gifts and Awards Committee.

(2) The Gifts and Awards Committee shall consist of-

(a) The Director of the Academy - Chairperson;

(b) Associate Director (Resource Development and Networking) and Associate Director (Academic)-Member;

(c) All the Deans- Members;

(d) One nominee of Director General, Council of Scientific and Industrial Research- Member; and

(e) one external member who has served or serving not below the rank of Professor of a university or equivalent officer of the national laboratories.

(3) The committee shall lay down the procedure for administration of the gift or benefaction:

Provided that where the terms and conditions attached to any gift, endowment or benefaction provides for any particular procedure for administration thereof, such procedure shall prevail.

(4) The Gifts and Awards Committee shall place before the Senate the proposal for different Awards and fellowships.

(5) The Board may on the recommendation of the Senate institute different forms of awards and fellowships and such awards and fellowships, shall comprise, but not be restricted to, the following, namely:

(i) Special Medals and Citations;

(ii) Endowment Fellowships for pre-doctoral, post-doctoral and specialised courses of studies;

(iii) Best Research Awards;

(iv) Innovative Technology Awards;

(v) Travel Fellowships;

(vi) Merit Scholarships;

(vii) Bursaries for research supervisors.

(6) The Gifts and Awards Committee shall formulate the details of the procedures for institution of the awards and fellowships from time to time which shall be placed before the Senate for approval.

(7) The Academy may accept grants from external agencies or raise loans with the approval of the Board:

Provided that-

- (a) no grants shall be accepted; or
- (b) no loan shall be raised;

except with the concurrence of the Finance Committee.

(8) No student shall be entitled to receive any fellowship or assistantship or financial support from the Academy:

Provided that the students of the Academy may receive the fellowship after clearing National Eligibility Test conducted by the Council of Scientific and Industrial Research fellowship and the University Grants Commission for Junior Research Fellowship, Senior Research Fellowship or other fellowships from other sources:

Provided further that the Academy may provide fellowship or sponsored fellowship by industries or philanthropic entities for meritorious, talented, motivated students from the weaker section of the society.

(9) Without prejudice to the provision of clause (8), the ordinances may provide for any other financial support to the students of the Academy.

(10) The annual report of the Academy shall contain a list of all gifts, benefactions and endowments along with mention of all awards, fellowships and medals given over the said period of time.

(11) (a) Notwithstanding anything contained in these Statutes, the laboratories of Council of Scientific and Industrial Research may continue to have their own awards, benefactions and endowments, irrespective of their relationship with the Academy.

(b) The procedure for grant of fellowships, awards, gifts and endowments, their administration and other matters connected thereto shall continue to be decided by the respective laboratories and not under the provisions of these Statutes.

**52. Administration of Estates, Endowments, Gifts and Benefactions, etc.**— (1) The Academy may, where necessary, have its own estates.

(2) The estates owned by the Academy shall be either on a free-hold title or on a lease for not less than ninety nine years:

Provided that the Academy may lease or rent any accommodation for shorter duration with a provision for renewal for its functioning.

(3) The ownership deeds and lease deeds for the Academy shall be signed by the Director of the Academy.

(4) The Academy may use the estates owned or leased or taken on rent for the purposes that are in line with the mandate of the Academy.

(5) For the purposes of clause (4), the Academy may put into usage its estates for the following purposes, namely:-

- (a) to build teaching and research infrastructure;
- (b) to build knowledge parks and incubators in furtherance of the mandate of the Academy;
- (c) to build ancillary facilities such as guest houses, convention centres, exhibition pavilions and other facilities;
- (d) to build experimental farms, workshops and test facilities.

(6) The Academy shall have an office of estates that shall be empowered to administer all affairs of estates of the Academy.

(7) The Academy shall have an office that shall be empowered to administer all affairs of gifts, endowment and benefactions.

(8) The Academy shall carry out appropriate verification of the antecedents of the donors before accepting the gifts, endowments and benefactions.

(9) The endowments shall consist of all those monies and other movable assets received by the Academy from various sources including but not restricted to gifts and donations.

(10) Subject to the provisions of these Statutes, the Academy shall promote solicitation and acceptance of gifts in order to augment its own resources and to further the commitment it has for achieving excellence in teaching, learning and research.

(11) (a) The Academy shall not accept any gift that may preclude it from accepting gifts from other donors;

(b) The Academy shall not accept any gifts that may violate any law for the time being in force or regulation and reserves the right to reject any gift;

(c) The act of giving a gift to the Academy shall be irrevocable and the gift and the gift-purpose, once acceded to, shall be subject to the prevailing policies and procedures of the Academy.

(12) (a) In recognition of a gift made by a donor, the Academy shall provide the donor with a naming opportunity like named chairs or fellowships within the Academy with approval of the Board.

(b) The Board may set the minimum level of the gift to qualify for a naming opportunity from time to time, and shall be decided on a case to case basis.

(13) (a) All gifts received by the Academy shall be used in accordance with the gift purpose;

(b) All information relating to the donor and the gift shall be treated as confidential unless disclosure of such information is in pursuance of an order of a court of law or is required in compliance with provisions of any law for the time being in force.

(c) The Academy shall appropriately acknowledge and recognise the donors and their gifts as may be provided by Ordinances framed in this regard.

(14) Notwithstanding anything contained in clause (13), if a donor offered with a naming opportunity falls into disrepute or the name proposed by the donor is found at a later date to be of disrepute, the Academy may discontinue the use of the relevant name or gift, donation or benefaction as may be decided by the Board.

(15) The Academy shall endeavour to use the gift for the purposes for which it was received:

Provided that the Board may alter the gift purpose to an extent required under exceptional circumstances, in order to keep in tune with the requirements of the Academy.

(16) On the approval of the Board, the endowment office shall obtain the concurrence of the donor to alter the gift purpose.

(17) The Academy may use the gift and administer the gift in accordance with the gift purpose and invest gifts and endowments.

(18) The endowments donated to the Academy shall be placed in a fund called the Academy of Scientific and Innovative Research Endowment Fund.

(19) The Fund shall constitute the capital and all payments required to be made in respect of all such endowments, shall be paid out of the income accruing to the said endowment fund.

(20) (a) The Academy may administer the fund in accordance with the provisions of this Statute.

(b) The Academy shall constitute an endowment fund committee, consisting of not less than five members, under the chairpersonship of the Associate Director (Administration and Finance) which shall have the power to make any investment under any law for the time being in force.

(c) The Academy shall, out of the fund income, pay for all expenses for managing the fund.

(d) Board may apportion such part of the fund income, from time to time, to form part of the capital of the fund, as may be necessary, to preserve the value of the capital of the fund to offset any depreciation in the value of the capital of the fund due to inflation and such other factors.

(e) At the beginning of every financial year, each endowment shall receive an annual distribution of expendable income at a predetermined fixed rate that shall be fixed by the Board, on the recommendation of the Finance Committee.

(21) The endowment fund of the Academy shall be used for the purposes specified by the Board from time to time.

**53. Relationship with other organisations and institutes.**— (1) The Academy shall endeavour to establish academic relationship with other national institutions and organisations for realisation of its objects and activities.

- (2) For the purposes of research and development, the Academy may promote a seamless relationship with any institute or centre or laboratory, belonging to any Department or Ministry of the Central Government other than Council of Scientific and Industrial Research network.
- (3) The relationship shall include, but not be restricted to, the following:
- movement of students for the pursuit of research;
  - movement of faculty for the pursuit of research and teaching;
  - acceptance of minimum eligibility criteria of the institutes for the purposes of admission of students;
  - promotion of joint schools, inter-institutional instruments and computational facilities;
  - inter- institutional library resource sharing; and
  - inter-institutional course credit sharing
- (4) All central universities of the country and other Institutions of national importance such as Indian Institutes of Technology, Indian Institutes of Science Education and Research and other institutes of national importance shall be treated at par with the Academy in regard to competitive selection of students to the Academy, migration of students from such universities or institutes to the Academy and *vice versa* and equivalence of courses.
- (5) (a) The Academy shall take proactive steps to promote academic interactions with the state universities and State-aided institutes of the country.
- (b) A state university shall be considered at par with the Academy if-
- the admission to a given course of study in such a university follows the same national level eligibility criteria specified by the University Grants Commission and that the examination, evaluation and credits offered by the university are in conformity with the specified national level standards; and
  - the state universities accredited by the National Assessment and Accreditation Council with a minimum of three star rank or those which have been identified as centres of excellence for specified discipline.
- (c) For the purposes of clause (5), the Academy shall endeavour to establish a seamless relationship with such universities or institutes in all relevant areas of study similar to those with central universities and institutes.
- (d) relationship with State-aided institutes in science and technology shall be promoted and considered on a case to case basis.
- (e) The Senate may constitute a committee under the chairpersonship of Associate Director (Academic) to decide the modalities of relationship and implement the decision with approval of the Senate.
- (6) (a) The Academy shall endeavour to establish and promote academic and research relationship with industries, public sector undertakings, autonomous bodies and non-governmental organisations.
- (b) The Senate may constitute a committee under the chairmanship of the Director to evaluate the relationship on a case to case basis.
- (c) For the purposes of sub-clause (b), the committee shall consist of the Associate Director (Academic), Associate Director (Resource Development and Network), Deans of the respective cluster to which the organisation or laboratory belongs, and one nominee of the Senate who is an expert in the field.
- (7) (a) The Academy shall endeavour to establish seamless relationship with international institutes and establishments;
- (b) The relationship with international institutes shall be planned, managed and executed by the Directorate of Resource Development and Network;
- (c) The Board may approve, the comprehensive International Cooperation Policy of the Academy, formed by the Senate, to govern the relationship; and
- (d) In framing the policy for the Academy, the Senate shall ensure that the policy is in consonance with the national policies mainly from security angle.
- (8) The best minds drawn from international or national laboratories or academia or industry, other than the Council of Scientific and Industrial Research system participating in collaborative research with the Council

of Scientific and Industrial Research, may be recognised as adjunct faculty of the Academy which may be co-guides to students pursuing studies at the Academy.

**54. Annual Report.-** The Director shall submit the annual report of the Academy to the Board covering the overall performance, academic and research highlights, physical and financial assessment or progress and other significant achievements during the year of the report.

[F.No. 6/1/CSIR-AcSIR/2012-13/PPD/s]

K.R. VAIDHEESWARAN, Jt. Secy.